

तीसरी अनुसूची

[धारा 113 (ख) देखिए]

भाग 1

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,-

- (1) "शीर्ष सं०" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः "शीर्ष" शब्द रखे जाएंगे। 5
- (2) "उपशीर्ष सं०" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "उपशीर्ष" शब्द रखा जाएगा।
- (3) अध्याय 3 में,—
- (i) टिप्पण 1 के खंड (ख) और खंड (ग) को क्रमशः खंड (ग) और खंड (घ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—
- "(क) शीर्ष सं० 01.06 के स्तनपायी ; 10
- (ख) शीर्ष सं० 01.06 (शीर्ष सं० 02.08 या 02.10) के स्तनपायी का मांस ;";
- (ii) शीर्ष सं० 03.05 के उपशीर्ष सं० 0305.20 में, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
- "— मछली के यकृत और मीनाडंक, शुष्कित, धूमित, लवणित या लवण जल में रखे ;"
- (4) अध्याय 4 में, उपशीर्ष टिप्पण 1 में, "प्रयोजन" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखा जाएगा, अर्थात् :— 15
- "प्रयोजनों";
- (5) अध्याय 5 के टिप्पण 3 में, "हाथी, वालरस" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—
- "हाथी, हिप्पोपटामस, वालरस";
- (6) अध्याय 7 के शीर्ष सं० 07.11 में उपशीर्ष सं० 0711.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (7) अध्याय 8 में,—
- (i) शीर्ष सं० 08.05 में, उपशीर्ष सं० 0805.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 20
- (ii) शीर्ष सं० 08.12 में, उपशीर्ष सं० 0812.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (8) अध्याय 11 में,—
- (i) टिप्पण 1 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
- "(ख) शीर्ष सं० 19.01 का तैयार किया गया आटा, दलिया, अवचूर्ण या स्टार्च ;";
- (ii) टिप्पण 2 में, खंड (अ) में "या दले हुए को हमेशा शीर्ष सं० 11.04 में वर्गीकृत किया जाता है" शब्दों के स्थान पर "या दले हुए को हमेशा" शब्द रखे जाएंगे ; 25
- (iii) शीर्ष सं० 11.03 में उपशीर्ष सं० 1103.12 और उपशीर्ष 1103.14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (iv) शीर्ष सं० 11.04 उपशीर्ष सं० 1104.11 और 1104.21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
- (9) अध्याय 12 में,— 30
- (i) टिप्पण 5 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष सं० टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- 'उपशीर्ष टिप्पण**
1. उपशीर्ष सं० 1205.10 के प्रयोजनों के लिए, "निम्न एरुसिक अम्ल तोरिया या कोल्जा बीज" पद से अभिप्रेत तोरिया या कोल्जा बीज अभिप्रेत है जो अवाष्पशील तेल पैदा करता है जिसमें भार के आधार पर दो प्रतिशत से अत्यून का एरुसिक अम्ल है और ठोस संघटक पैदा करता है जिसमें प्रति ग्राम ग्लूकोसाइनोलेट का 30 माइक्रोमोल से अत्यून है।";
- (ii) शीर्ष सं० 12.07 में, उपशीर्ष 1207.92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 35
- (iii) शीर्ष सं० 12.12 में,—
- (क) उपशीर्ष सं० 1212.30 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
- "—खुबानी, आड़ू (जिसके अंतर्गत शफ़तालू भी है) या आलू बुखारा की गुठली और गिरी";
- (ख) उपशीर्ष सं० 1212.92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (10) अध्याय 13 में, टिप्पण 1 में, खंड (च) से खंड (झ) को क्रमशः खंड (छ) से खंड (ट) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित 40
- खंड (छ) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- "(च) पोस्त तृण के सान्द्र जिसमें ऐलकेलाइड के भार के आधार पर 50% से अत्यून है (शीर्ष सं० 29.39) ;";
- (11) अध्याय 15 में,—
- (i) टिप्पण 4 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 45
- 'उपशीर्ष टिप्पण**
1. उपशीर्ष सं० 1514.11 और 1514.19 के प्रयोजनों के लिए, "निम्न एरुसिक अम्ल तोरिया या कोल्जा बीज" पद से वह अवाष्पशील तेल अभिप्रेत है जिसमें भार के आधार पर दो प्रतिशत से अत्यून एरुसिक अम्ल अंतर्वस्तु है।";
- (ii) शीर्ष सं० 15.15 में उपशीर्ष सं० 1515.60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(12) अध्याय 19 में,—

(i) टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'2. शीर्ष सं0 19.01 के प्रयोजनों के लिए :

(क) "दलिया" शब्द से अध्याय 11 का अनाज दलिया अभिप्रेत है ;

(ख) "आटा" और "खाना" शब्दों से निम्नलिखित अभिप्रेत है ;

(1) अध्याय 11 का अनाज आटा और खाना, और

(2) किसी अध्याय के वनस्पति मूल का आटा, खाना और पाऊडर, आलू (शीर्ष सं0 11.05) के आटा, खाना या शुष्कित वनस्पति के पाऊडर या फलीदार वनस्पति (शीर्ष सं0 11.06) से भिन्न ।';

(ii) शीर्ष सं0 19.01 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

" माल्ट निष्कर्ष, आटा, दलिया, अवचूर्ण या माल्ट निष्कर्ष की खाद्य निर्मितियां, जिनमें कोको नहीं है या जिनमें पूर्णतः निर्वसीकृत आधार पर कोको भार के अनुसार 40% से कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, शीर्ष सं0 04.01 से 04.04 के माल की खाद्य निर्मितियां जिनमें कोको नहीं है या जिनमें पूर्णतः निर्वसीकृत आधार पर परिकलित कोको भार के अनुसार 5% से कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है ।";

(iii) शीर्ष सं0 19.04 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

" धान्य या धान्य उत्पाद को फुलाकर या भूनकर अभिप्राप्त खाद्य (उदाहरणार्थ कार्न पत्रक), धान्य (मक्का से भिन्न कान), कर्ण के रूप में या पत्रक के रूप में या अन्य निर्मित कण (आटा, दलिया और अवचूर्ण को छोड़कर), पहले से पकाया गया या अन्यथा निर्मित, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है";

(13) अध्याय 20 में,—

(i) टिप्पण 5 को टिप्पण 6 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 6 के पूर्व निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'5. शीर्ष सं0 20.07 के प्रयोजनों के लिए, "पकाकर प्राप्त करना" पद से जल अंतर्वस्तु या अन्य माध्यमों को कम करके किसी उत्पाद की विस्कोसिटी में वृद्धि करने के लिए पर्यावरणीय दबाव पर या कम किए गए दबाव के अंतर्गत उष्मायित अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया गया अभिप्रेत है । ' ;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

' 3. उपशीर्ष सं0 2009.12, उपशीर्ष सं0 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 और 2009.71 के प्रयोजनों के लिए, "ब्रिक्स मूल्य" पद से किसी ब्रिक्स हाइड्रोमीटर से या किसी रेफरोमीटर से प्राप्त शुक्रोज अंतर्वस्तु की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त रिफ्लेक्टिव सूचकांक के रूप में 20°सै0 तापमान पर या 20°सै0 के सही किए गए यदि पठन किसी विभिन्न तापमान पर किया जाता है, से प्राप्त डिग्री ब्रिक्स का प्रत्यक्ष पठन अभिप्रेत है ;

(iii) शीर्ष सं0 20.01 में उपशीर्ष सं0 2001.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) शीर्ष सं0 20.07 में स्तंभ (3) में "जो पकाई गई निर्मितियां हैं" शब्दों के स्थान पर, "पकाकर प्राप्त की गई" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) शीर्ष सं0 20.08 में, उपशीर्ष सं0 2008.70 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

' "आड़ू जिसके अंतर्गत शफ़तालू हैं";

(14) अध्याय 22 में, शीर्ष सं0 22.08 में, स्तंभ (3) में "अविकृति", शब्द के स्थान पर "अविकृतिकृत" रखा जाएगा ;

(15) अध्याय 23 में, टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'उपशीर्ष टिप्पण

1. उपशीर्ष सं0 2306.41 के प्रयोजनों के लिए, " न्यून एरूसिड अम्ल तोरिया या कोल्जा बीज" पद से उपशीर्ष टिप्पण 1 से अध्याय 12 में यथापरिभाषित बीज अभिप्रेत हैं ; ' ;

(16) अध्याय 25 में,—

(i) टिप्पण 4 में, "भंजित भृत भांड" शब्दों के स्थान पर "भृत भांड, ईट या कंक्रीट के भंजित टुकड़ें" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष सं0 25.18 में,

(क) स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

" डोलोमाइट, चाहे निस्तापित या निसादित है या नहीं ; या स्थल रूप से कर्तित या आरी द्वारा चीरकर या अन्यथा आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) आकार के ब्लाकों या सिल्लियों में मात्र कर्तित डोलोमाइट ; डोलोमाइट अवशेष मिश्रण";

(ख) उपशीर्ष सं0 2518.10 में स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

" -- डोलोमाइट, जो निस्तापित या निसादित नहीं है ;

(ग) उपशीर्ष सं0 2518.20 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

" -- निस्तापित या निसादित डोलोमाइट ;

(घ) उपशीर्ष सं0 2518.30 में, स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

" -- डोलोमाइट रेमिंग मिश्रण";

(iii) शीर्ष सं0 25.27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) शीर्ष सं0 25.30 में उपशीर्ष सं0 2530.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(17) अध्याय 26 में,—

(i) टिप्पण 1 में, खंड (ग) से खंड (घ) को क्रमशः खंड (घ) से खंड (छ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (घ) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(घ) पेट्रोलियम तेल के भंडारण टैंकों से सलश जिसमें मुख्यतः ऐसे तेल हैं (शीर्ष सं0 27.10);;

(ii) टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

(3) शीर्ष सं0 26.20 केवल निम्नलिखित को लागू होता है :

(क) इस प्रकार के भस्म और अवशिष्ट जिनका धातु के निष्कर्षण के लिए या धातु के रसायनिक सम्मिश्रण के विनिर्माण के लिए आधार के रूप में उद्योग में प्रयोग किया जाता है जिसके अंतर्गत नगरपालिक अपशिष्ट के भस्मिन्त्र से प्राप्त भस्म और अवशिष्ट नहीं है (शीर्ष सं0 26.21) ; और

(ख) इस प्रकार का भस्म और अवशिष्ट जिसमें आरसेनिक है, चाहे उसमें धातु हो अथवा नहीं जिसका आरसेनिक या धातु के निष्कर्षण के लिए या उनके रसायनिक सम्मिश्रणों के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है ।;

(iii) टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

' उपशीर्ष टिप्पण

1. उपशीर्ष सं0 2620.21 के प्रयोजनों के लिए, "सीसे की गैसोलीन सलज और सीसे की नाकरोधी सम्मिश्रण सलज" से सीसे के गैसोलीन के भंडारण टैंकों से और सीसे के नाकरोधी सम्मिश्रण से प्राप्त सलज (उदाहरणार्थ टैथरेथिल सीसा), जिसके अंतर्गत आवश्यक रूप से सीसा, सीसा सम्मिश्रण और लौह आक्साइड सम्मिलित है ।

2. इस प्रकार के भस्म और अवशिष्ट जिसके अंतर्गत आरसेनिक, पारा, थैलीयम या उनके मिश्रण जिनका आरसेनिक या ऐसी धातुओं के निष्कर्षण के लिए अथवा उनके रासायनिक सम्मिश्रणों के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, उपशीर्ष सं0 2620.60 में वर्गीकृत किए जाएंगे ।;

(iv) शीर्ष सं0 26.20 में,--

(क) स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

" भस्म और अवशिष्ट (लौहा या इस्पात के विनिर्माण से भिन्न), जिसमें आरसेनिक, धातु या उनके मिश्रण हैं " ;

(ख) उपशीर्ष सं0 2620.50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(18) अध्याय 27 में,--

(i) टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3. शीर्ष सं0 27.10 के प्रयोजनों के लिए "अपशिष्ट तेल" से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत मुख्यतः पेट्रोलियम तेल और ऐसे तेल सम्मिलित हैं जो बिटुमिनी खनिजों से प्राप्त किए गए हैं (जैसा इस अध्याय के टिप्पण 2 में वर्णित है) चाहे उनमें जल मिश्रित किया गया हो अथवा नहीं । इसके अंतर्गत :

(क) ऐसे तेल सम्मिलित हैं जो अब मुख्य उत्पाद के रूप में प्रयोग के लायक नहीं है (उदाहरणार्थ, प्रयुक्त रनेहक तेल, प्रयुक्त हाईड्रोलिक तेल और प्रयुक्त ट्रांसफार्मर तेल) ;

(ख) पेट्रोलियम तेलों के भंडारण टैंकों से सलज तेल जिसमें मुख्य रूप से ऐसे तेल और संयोजी के उच्च सान्द्र (उदाहरणार्थ रसायन) सम्मिलित है जिनका प्रयोग मुख्य उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है ; और

(ग) जल या जल के साथ मिश्रण में पायसीकरण के रूप में ऐसे तेल जैसे तेल निक्षारण, भांडारण टैंक, धावण से पैदा होने वाले या मशीनी संक्रियाओं के लिए कृतण तेल के प्रयोग से पैदा होने वाले तेल ।;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :-

' 3. उपशीर्ष 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 और 2707.60 के प्रयोजनों के लिए, "बेनजोल (बेनजीन)", "टूलवाल (टोलीन)", "वायलाल (वायलीन)", "नेफ्थालीन" और "फिनॉल" पद ऐसे उत्पादों को लागू होते हैं जिनमें क्रमशः बेनजीन, टोलीन, वायलीन, नेफ्थालीन या फिनॉल के भार के आधार पर 50% से अधिक अन्तर्विष्ट है ;

' 4. उपशीर्ष 2710.11 के प्रयोजनों के लिए, " हल्के तेल और निर्मितियां" वे हैं जिनका 210°सै0 (ए0एस0टी0एम0 डी0 86 प्रणाली) पर डिस्टिल वाल्यूम द्वारा (जिसके अंतर्गत हानियां हैं), 90% या अधिक हैं ।;

(iv) शीर्ष 27.07 में,--

(क) उपशीर्ष सं0 2707.10 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"-बेनजाल (बेनजीन)";

(ख) उपशीर्ष सं0 2707.20 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"-टूलवाल (टोलीन)";

(ग) उपशीर्ष सं0 2707.30 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"-वायलाल (वायलीन)";

(19) अध्याय 28 में,--

(i) टिप्पण 3 में खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) शीर्ष सं0 32.06 के इस प्रकार के अकार्बनिक उत्पाद जिनका प्रयोग लूमीनीफोर ; ग्लास फ्रिट और अन्य ग्लास के रूप में शीर्ष सं0 32.07 के पाऊडर, दाने या फलेक के रूप में किया जाता है ;";

(ii) शीर्ष सं0 28.09 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

" डीफास्फोरस पैंटाऑक्साइड; फासफोरिक अम्ल, पालीफासफोरिक अम्ल, चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित किए गए हों अथवा नहीं " ;

(iii) शीर्ष सं0 28.27 में उपशीर्ष सं0 2827.38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) शीर्ष सं0 28.30 में स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

" सल्फाइड ; पाली सल्फाइड चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित की गई हों अथवा नहीं " ;

(v) शीर्ष सं0 28.34 में उपशीर्ष सं0 2834.22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

- (vi) शीर्ष सं0 28.35 में स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
"फोसफिनेट (हाइपोफोसफिड), फोसफिनेट (फासफाइड) और फासफेट ; पाली फासफेट चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित की गई हों अथवा नहीं ;"
- (vii) शीर्ष सं0 28.36 में उपशीर्ष सं0 2836.70 में स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
"सीसा कारबोनेट ;"
- 5 (viii) शीर्ष सं0 28.41 में उपशीर्ष सं0 2841.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
(ix) शीर्ष सं0 28.42 में,-
(क) स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
"अकार्बनिक अम्ल के अन्य लवण या पैरोक्साइड (जिसके अंतर्गत एलेमीनोसिलिकेट है चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित की गई हों अथवा नहीं), एजाइड से भिन्न ;"
- 10 (ख) उपशीर्ष सं0 2842.10 में स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
" दोहरे या जटिल सिलिकेट जिसके अंतर्गत ऐलूमीनोसिलिकेट भी है चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित की गई हों अथवा नहीं ;"
- (20) अध्याय 29 में,-
(i) टिप्पण 1 में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
" (ग) शीर्ष सं0 29.36 से 29.39 के उत्पाद या शूगर इथर, शूगर ऐसीटल और शूगर इस्टर और शीर्ष सं0 29.40 के उनके लवण, या शीर्ष सं0 29.41 के उत्पाद चाहे वे रासायनिक रूप से परिभाषित की गई हों अथवा नहीं ;"
- 15 (ii) टिप्पण 7 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
'8- शीर्ष सं0 29.37 के प्रयोजनों के लिए :
(क) "हार्मोन" शब्द के अंतर्गत हार्मोन निर्माचन या हार्मोन उद्दीपक कारक, हार्मोन इनीबीटर और हार्मोन एन्टागोनिस्ट (हार्मोन-रोधी) सम्मिलित हैं ;
(ख) "मुख्यतः हार्मोन के रूप में प्रयुक्त" पद न केवल हार्मोन व्युत्पन्न और उनके हार्मोन प्रभाव के लिए मुख्यतः प्रयोग किए संरचनात्मक सदृश्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं अपितु उन व्युत्पन्नों और संरचनात्मक सदृश्यों के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं जिनका इस शीर्ष सं0 के उत्पादों के संश्लेष में मध्यवर्ती के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है । ;"
- 20 (iii) शीर्ष सं0 29.03 में उपशीर्ष सं0 2903.16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
(iv) शीर्ष सं0 29.07 में,-
(क) स्तंभ (3) में, उपशीर्ष सं0 2907.19 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् "पालीफिनाल ;" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :
" -पालीफिनाल, फेनाल-एल्कोहल: ;"
- 25 (ख) उपशीर्ष सं0 2907.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
(v) शीर्ष सं0 29.14 में, उपशीर्ष सं0 2914.31 में स्तंभ (3) में, "(1- फेनीप्लोरोपान-2-एक)" कोष्ठकों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "(फेनीप्लोरोपान-2-एक)" कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- 30 (vi) शीर्ष सं0 29.15 में, उपशीर्ष सं0 2915.60 में स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
" -ब्यूटेनिक अम्ल, पेन्टेनिक अम्ल, उनके लवण और ईस्टर ;"
- (vii) शीर्ष सं0 29.18 में, उपशीर्ष सं0 2918.17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
(viii) उप अध्याय 8 में, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
" 8. अध्याय के अकार्बनिक अम्लों के ईस्टर और उनके लवण, और उनके हैलोजेनेटेड सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न ;"
- 35 (ix) शीर्ष सं0 29.20 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
" अध्याय के अन्य अकार्बनिक अम्लों के ईस्टर (जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन हैलाइड के ईस्टर नहीं हैं) और उनके लवण; उनके हैलोजेनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड व्युत्पन्न ;"
- (x) शीर्ष सं0 29.22 में,-
(क) स्तंभ (3) में, शीर्ष सं0 29.22 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, " -एनिमो एल्कोहल, उनके ईथर और ईस्टर, उनसे भिन्न जिनमें एक से अधिक किस्म के आक्सीजन समूह हैं ; उनके लवण से अधिक हैं, " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :-
" एनिमो एल्कोहल उनसे भिन्न जिनमें एक से अधिक किस्म के आक्सीजन समूह हैं, उनके ईथर और ईस्टर ; उनके लवण ; "
- 40 (ख) उपशीर्ष सं0 2922.19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में, " -एमिनो-नेफथाल और अन्य एमीनो-फिनाल, उनके ईथर और ईस्टर, उनसे भिन्न जिनमें एक से अधिक प्रकार के आक्सीजन समूह हैं ; उनके लवण" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
" -एमिनो-नेफथाल और अन्य एमीनो-फिनाल, उनसे भिन्न जिनमें एक से अधिक किस्म के आक्सीजन समूह हैं, उनके ईथर और ईस्टर ; उनके लवण ;"
- (xi) शीर्ष सं0 29.23 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
" क्वार्टरनी अमोनियम लवण और हाइड्रोजेनहाइड ; लेसीथिन और अन्य फास्फोएनिमोलिपिड चाहे उन्हें रासायनिक रूप से परिभाषित किया गया हो अथवा नहीं ;"
- 45 (xii) शीर्ष सं0 29.34 में,-
(क) स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
" न्यूक्लिक अम्ल और उनके लवण, चाहे उन्हें रासायनिक रूप से परिभाषित किया गया हो अथवा नहीं ; अन्य हीट्रोसाइक्लिक सम्मिश्रण ;"
- 50 (ख) उपशीर्ष सं0 2934.20 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
" -सम्मिश्रण जिनकी संरचना में बेन्जोथिएजोल चक्र पद्धति (चाहे वह हाइड्रोजेनेट हो अथवा नहीं) जिसको आगे संगलित नहीं किया गया है ;"

(ग) उपशीर्ष सं० 2934.30 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"-सम्मिश्रण जिनकी संरचना में बेन्जोथिएजोल चक्र पद्धति (चाहे वह हाइड्रोजेनेट हो अथवा नहीं) जिसको आगे संगलित नहीं किया गया है";

(xiii) शीर्ष सं० 29.39 में, उपशीर्ष सं० 2939.70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xiv) शीर्ष सं० 29.40 में, उपशीर्ष सं० 2940.00 में, स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"शर्करा, रासायनिक रूप से शुद्ध, सुक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस, ग्लूकोस और फ्रक्टोस ; शर्करा ईथर, शर्करा एसीटल और शर्करा ईस्टर और उनके लवणों से भिन्न, शीर्ष सं० 29.37, 29.38 या 29.39 शीर्ष के उत्पादों से भिन्न";

(21) अध्याय 30 में,—

(i) टिप्पण 1 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) खाद्य और सुपेय (अर्थात् आहारिकी, मधुमेही या प्रवर्धित खाद्य, खाद्य पूरक, टानिक सुपेय और खनिज जल) जो अंतः शिरा उपयोग के लिए पोषक निर्मितियां हैं (अनुभाग 4) ;";

(ii) टिप्पण 4 में,—

(क) खंड (छ) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(ज) शीर्ष सं० 29.37 के अन्य उत्पादों या शुक्राणुनाशियों हार्मोनों पर आधारित रासायनिक गर्भ-निरोधक निर्मितियां ;

(झञ्ज) जेलनिर्मितियां, जो मानव या पशु चिकित्सा आयुर्विज्ञान में शल्य चिकित्सा आपरेशन या शारीरिक परीक्षण के लिए शरीर के भागों के संबंध में स्नेहक तेल के रूप में या शरीर और चिकित्सीय उपकरणों के बीच युग्मक कर्मक के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए अभिकल्पित की गई हैं ; और

(ट) अपशिष्ट भेषजीय, अर्थात् भेषजीय उत्पाद जो उदाहरणार्थ उनकी अंतिम अवधि की समाप्ति के कारण उनके मूल आशयित प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त हैं ;

(iii) शीर्ष सं० 30.04 में,—

(क) स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"औषधि द्रव्य (जिनमें शीर्ष सं० 30.02, 30.05 या 30.06 के माल नहीं हैं) जिसमें चिकित्सीय या रोग निरोधी उपयोगों के लिए मिश्रित या अमिश्रित उत्पाद हैं जो मापित मात्राओं में (जिसमें वे भी हैं जो ट्रान्सडर्मल कर्मक प्रणाली के रूप में हैं) या रूपों में या पैकिंग में फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हैं";

(ख) उपशीर्ष सं० 3004.32 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"- जिनमें अधिवृक्क हार्मोन, उनके व्युत्पन्न और संरचना संबंधी सदृश हैं";

(iv) शीर्ष सं० 30.06 में, उपशीर्ष सं० 3006.60 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"-हार्मोन या शीर्ष सं० 29.37 के अन्य उत्पादों या शुक्राणुनाशियों पर आधारित रासायनिक गर्भ-निरोधक निर्मितियां";

(22) अध्याय 32 में, शीर्ष सं० 32.06 के उपशीर्ष सं० 3206.11 में, स्तंभ (3) में "शुष्क भार के अनुसार" शब्दों के स्थान पर "शुष्क विषयों के अनुसार" शब्द रखे जाएंगे ;

(23) अध्याय 34 में,—

(i) शीर्ष सं० 34.01 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"साबुन ; साबुन के रूप में उपयोग के लिए कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जो डंडों, टिकियों, संचित खंडों या आकारों के रूप में हैं चाहे उनमें साबुन है या नहीं ; चर्म को धोने के लिए कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जो द्रव्य या क्रीम के रूप में हैं और फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हैं चाहे उनमें साबुन, कागज, वैडिंग, नमदा और अव्यूतित सामग्री है या नहीं, जो साबुन या अपमार्जक से संसेचित, विलेपित या आच्छादित है";

(ii) शीर्ष सं० 34.04 के उपशीर्ष सं०, 3404.20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"-पॉली (आक्सीथिलीन) (पॉलीथिलीन ग्लाइकोल)";

(24) अध्याय 35 में, शीर्ष सं० 35.06 के उपशीर्ष सं० 3506.91 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"-शीर्ष सं० 39.01 से 39.13 के प्लास्टिक या रबड़ पर आधारित आसंजक";

(25) अध्याय 38 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(क) टिप्पण (क) में, उपखंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(4) नीचे टिप्पण 2 में विनिर्दिष्ट प्रमाणित निर्देश सामग्री ;

(5) नीचे टिप्पण 3(क) या 3(ग) में विनिर्दिष्ट उत्पाद ;";

(ख) खंड (ख) में, "(साधारणतया शीर्ष सं० 21.06)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "(शीर्ष सं० 21.06)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ग) और खंड (घ) को खंड (घ) और खंड (ङ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड (घ) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) भस्म और अवशिष्ट (जिसमें मल अवमल से भिन्न अवमल सम्मिलित है), जिनमें धातु, आर्सेनिक या उनके मिक्चर हैं और जो अध्याय 26 (शीर्ष सं० 26.20) के टिप्पण 3(क) या 3(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ;

(घ) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (घ) में, "(शीर्ष सं० 30.03 या 30.04)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "(शीर्ष सं० 30.03 या 30.04) ; या" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 2 को टिप्पण 3 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 3 से पूर्व निम्नलिखित टिप्पण और उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

' 2(अ) शीर्ष सं० 38.22 के प्रयोजन के लिए "प्रमाणित निर्देश सामग्री" से ऐसी निर्देश सामग्री अभिप्रेत है जिसके साथ एक प्रमाणपत्र होता है जो प्रमाणित गुणधर्मों का मूल्य, इन मूल्यों को अवधारित करने के लिए प्रयोग की गई पद्धतियों और प्रत्येक मूल्य के साथ सहयुक्त निश्चितता की मात्रा उपदर्शित करती है और जो विश्लेषणात्मक, अंशान्कन या निर्देश करने के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त हैं ।

(आ) अध्याय 28 या 29 के उत्पादों के अपवाद सहित, प्रमाणित निर्देश सामग्री के वर्गीकरण के लिए, शीर्ष सं0 38.22, नाम पद्धति में किसी अन्य शीर्ष पर अग्रता रखेगा ।';

(iii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 3 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण और उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

4. 'संपूर्ण' नाम पद्धति में, "नगरपालिक अपशिष्ट" से इस प्रकार का अपशिष्ट अभिप्रेत है जो गृहों, होटलों, रेस्तरां, अस्पतालों, दुकानों, कार्यालयों आदि, सड़क और पटरी झाड़न और निर्माण और ढहा देने के कारण एकत्र होता है । नगरपालिक अपशिष्ट में साधारणतया अनेक किस्म की सामग्रियां होती हैं जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, कागज, वस्त्र, कांच, धातु, खाद्य सामग्री, टूटे फर्नीचर और अन्य नष्ट या फेंकी हुई वस्तुएं । तथापि, "नगरपालिक अपशिष्ट" पद के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :-

(क) अपशिष्ट से अलग की गई व्यक्ति सामग्री या वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, पेपर, वस्त्र, कांच या धातु और भुक्तशेष बैट्टियां जो नामपद्धति के उनके समुचित शीर्ष सं0 के अंतर्गत आते हैं ;

(ख) औद्योगिक अपशिष्ट ;

(ग) अध्याय 30 के टिप्पण 4(ट) में यथापरिभाषित भेषजीय अपशिष्ट ; या

(घ) नीचे टिप्पण 6(क) में यथापरिभाषित क्लीनिक संबंधी अपशिष्ट ।

5. शीर्ष सं0 38.25 के प्रयोजनों के लिए "मल अवमल" से शहरी बहि उपचार संयंत्र से उत्पन्न होने वाला अवमल अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पूर्व उपचार अपशिष्ट, अभिमारजन और अस्थायीकृत अवमल है । स्थायीकृत अवमल जब खाद के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए उपयुक्त हो, (अध्याय 31) के अंतर्गत नहीं है ।

6. शीर्ष सं0 38.25 के प्रयोजनों के लिए "अन्य अपशिष्ट" पद निम्नलिखित को लागू होता है,--

(क) क्लीनिक संबंधी अपशिष्ट अर्थात् चिकित्सा अनुसंधान, निदान, उपचार या अन्य चिकित्सीय, शल्य, दंत संबंधी या पशु चिकित्सा प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाला संदूषित अपशिष्ट, जिसमें प्रायः रोगजनक और भेषजीय पदार्थ होते हैं और जिनके लिए विशेष व्ययन प्रक्रिया अपेक्षित है (उदाहरणार्थ मैली पट्टियां, प्रयोग किए गए दस्ताने और प्रयोग की गई सिरिंजे) ;

(ख) अपशिष्ट कार्बनिक विलायक ;

(ग) धातु अम्लोपचारी लिकर, हाइड्रोलिक तरल, ब्रेक तरल और हिम-रोधी तरल के अपशिष्ट ; और

(घ) रासायनिक या सहबद्ध उद्योगों के अन्य अपशिष्ट ।

"अन्य अपशिष्ट" पद के अंतर्गत, तथापि, ऐसे अपशिष्ट नहीं आते हैं जिनमें मुख्यतः पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनी खनिजों से प्राप्त तेल (शीर्ष सं0 27.10) है ।

उपशीर्ष टिप्पण

1. उपशीर्ष सं0 3825.41 और 3825.49 के प्रयोजनों के लिए "अपशिष्ट कार्बनिक विलायक" ऐसे अपशिष्ट हैं जिनमें मुख्यतः कार्बनिक विलायक हैं, जिसका यथाविद्यमान प्राथमिक उत्पादों के रूप में और प्रयोग के लिए नहीं हैं चाहे विलायकों की पुनःप्राप्ति के लिए आशयित हों या नहीं ।';

(iv) शीर्ष सं0 38.22 में, उपशीर्ष सं0 3822.00 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"बेक करने पर नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक, निर्मित नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक चाहे बेक किए गए हों या नहीं, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 30.02 या 30.06 में हैं ; प्रमाणित निर्देश सामग्री";

(v) शीर्ष सं0 38.24 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"ढलाईशाला, संच या क्रोड के लिए निर्मित बंधक ; रासायनिक या सहबद्ध उद्योगों के रासायनिक उत्पाद और निर्मितियां (जिनमें प्राकृतिक उत्पादों के मिश्रण भी हैं) जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं";

(26) अध्याय 39 में,--

(i) "उपशीर्ष टिप्पण" शब्दों के स्थान पर "उपशीर्ष टिप्पण" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) विद्यमान उपशीर्ष टिप्पण को उसके उपशीर्ष टिप्पण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपशीर्ष टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'2. उपशीर्ष सं0 3920.43 के प्रयोजनों के लिए, "प्लास्टिक" पद के अंतर्गत गौण प्लास्टिक भी है ।';

(iii) शीर्ष सं0 39.04 में,--

(क) उपशीर्ष सं0 3904.10 में, स्तंभ (3) में "पालीविनाइल क्लोराइड" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"पाली (विनाइल क्लोराइड)";

(ख) उपशीर्ष सं0 3904.10 में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् स्तंभ (3) में "-अन्य पालीविनाइल क्लोराइड" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"-अन्य पाली (विनाइल क्लोराइड)";

(iv) शीर्ष सं0 39.05 में,--

(क) शीर्ष सं0 39.05 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, स्तंभ (3) में "-पालीविनाइल एसिटेट" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"-पाली (विनाइल एसिटेट)";

(ख) उपशीर्ष सं0 3905.30 में, स्तंभ (3) में "पालीविनाइल एल्कोहाल" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"-पाली (विनाइल एल्कोहाल)";

(v) शीर्ष सं0 39.06 में, उपशीर्ष सं0 3906.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"-पाली (मिथाइल मिथाक्रिलेट)";

- (vi) शीर्ष सं0 39.07 में, उपशीर्ष सं0 3907.60 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
" -पाली (इथिलीन टैरिफ्थालेट)";
- (vii) शीर्ष सं0 39.20 में,--
(क) उपशीर्ष सं0 3920.51 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
" -पाली (मिथाइल मिथाक्रिलेट) के"; 5
(ख) उपशीर्ष सं0 3920.62 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
" -पाली (इथिलीन टैरिफ्थालेट) के";
(ग) उपशीर्ष सं0 3920.91 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
" -पाली (विनाइल बुटिराल) के";
- (viii) शीर्ष सं0 39.22 में,-- 10
(क) स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
" प्लास्टिक के बाथ, शावर बाथ, सिंक, वाश बेसिन, बिड़े, शौचालय पैन, सीट और आच्छद, फ्लश करने के सिस्टर्न और वैसे ही स्वच्छता सामान";
(ख) उपशीर्ष सं0 3922.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
" -बाथ, शावर बाथ, सिंक और वाश बेसिन";
- (ix) शीर्ष सं0 39.26 में, उपशीर्ष सं0 3926.20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :- 15
" -परिधान वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन (जिनके अंतर्गत दस्ताने, मिटिन और मिट भी हैं)";
- (27) अध्याय 40 में,--
(i) टिप्पण 2 में, खंड (च) में, " दस्ताने" शब्द के स्थान पर " दस्ताने, मिटिन और मिट" शब्द रखे जाएंगे ;
(ii) शीर्ष सं0 40.15 में,--
(क) स्तंभ (3) में, "(जिसके अंतर्गत दस्ताने हैं)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "(जिसके अंतर्गत दस्ताने, मिटिन और मिट हैं)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ; 20
(ख) शीर्ष सं0 40.15 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, स्तंभ (3) में, "-दस्ताने:", शब्द के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :-
"-दस्ताने, मिटिन और मिट";
- (28) अध्याय 41 में,--
(i) टिप्पण 2 को टिप्पण 3 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 3 से पूर्व निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- 25
' 2. (अ) शीर्ष सं0 41.04 से 41.06 के अंतर्गत खाल और चर्म नहीं आते हैं जिन पर चर्म शोधन प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत पूर्व चर्म शोधन भी है) की गई है और जो उलटने योग्य है (यथास्थिति, शीर्ष सं0 41.01 से 41.03) ।
(आ) शीर्ष सं0 41.04 से 41.06 के प्रयोजनों के लिए "अपघर्षित" पद के अंतर्गत ऐसी खाल और चर्म भी हैं जिन्हें सुखाने से पूर्व पुनः चर्म शोधित, रंजित या वसा लिकरित (भरा हुआ) किया गया है ।'; 30
(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 3 में "शीर्ष सं0 41.11" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्ष सं0 41.15" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (29) अध्याय 42 में,--
(i) टिप्पण 1 में, खंड (ख) में " (दस्तानों को छोड़कर)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर "(दस्तानों, मिटिन और मिट को छोड़कर)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;
(ii) टिप्पण 3 में, " दस्ताने (जिसके अंतर्गत क्रीड़ा दस्ताने भी हैं)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "दस्ताने, मिटिन और मिट (जिसके अंतर्गत क्रीड़ा या संरक्षण के लिए दस्ताने, मिटिन और मिट भी हैं)" शब्द रखे जाएंगे ; 35
(iii) शीर्ष सं0 42.02 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
" चमड़े के, संगठन चमड़े के, प्लास्टिक की चादर के, टैक्सटाइल सामग्री के, तकनीकीकृत फाइबर के या पेपर बोर्ड के अथवा पूर्णतया या मुख्यतया ऐसी सामग्री या कागज से आच्छादित ट्रंक, सूटकेस, वैनिटी केस, एक्जिक्यूटिव केस, ब्रीफकेस, स्कूल सैबेल, चश्मा केस, द्विनेमी केस, कैमरा केस, वाद्ययंत्र केस, बंदूक केस, होलस्टर और वैसे ही आधान ; यात्रा के थैले, विद्युत्सरोधी खाद्य और सुपेय थैले, प्रसाधन थैले, पीठ थैले, हैंडबैग, दुकानदारी के लिए थैले, वैलेट, पर्स, नक्शा केस, सिगरेट केस, तंबाकू के थैले, औजार के थैले, क्रीड़ा सामान के थैले, बोटल केस, आभूषण के बक्से, पाउडर के बक्से, कटलरी केस और वैसे ही आधान"; 40
- (30) अध्याय 43 में,--
(i) टिप्पण 2 में, खंड (ग) में, " दस्ताने" शब्द के स्थान पर "दस्ताने, मिटिन और मिट" शब्द रखे जाएंगे;
(ii) शीर्ष सं0 43.01 में, उपशीर्ष सं0 4301.20, 4301.40 और 4301.50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
(iii) शीर्ष सं0 43.02 में, उपशीर्ष सं0 4302.12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 45
- (31) अध्याय 44 में,--
(i) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

'उपशीर्ष टिप्पण

'1. उपशीर्ष सं0 4403.41 से 4403.49, 4407.24 से 4407.29, 4408.31 से 4408.39 और 4412.13 से 4412.99 तक के प्रयोजनों के लिए "उष्ण कटिबंध काष्ठ" पद से निम्नलिखित प्रकार की काष्ठ में से एक अभिप्रेत है :

अबूरा, अकाजू डिअप्रीक, अफ्रोसमोसिया, अको, अलान, एंडीरोबा, एनिनग्रे, एवोडायर, अजोबे, बालऊ, बल्सा, बोसे क्लेअर, बोसे फोन्स, केटिवो, सेड्रो, डबेमा, डार्क रेड मेरांटी, डिबेटू, डौसी, फ्रेमायर, फेरीजो, फ्रेमेजार, फ्यूमा, जीरोंगगेंग, इलौम्बा, इंबूइआ, आइप इरोको, जवोटी, जैलुटांग, जेक्वीटीवा, जांगकांग,

कपूर, केम्पास, केरुइंग, कोसिपो, कोटिबे, कोटो, लाइट रेड मरांटी, लिम्बा, लोरो, मकरान्डुबा, महोगनी, मैकारे, मेंडिओक्वीरा, मैनसोनिया, मंगकुलंग, मेरांटी बकाउ, मेरबान, मरबाऊ, मरपोह, मरसावा, मोआबी, निआनगोन, न्यातोह, ओबेक, ओकौमे, ओजाबिली, औरे, ओवेंगकोल, ओजिगो, पडोक, पलदाउ, पालिसेन्द्रे डि गुआटेमाला, पालिसेन्द्रे डिपारा, पालिसेन्द्रे डि रियो, पालिसेन्द्रे डी रोज, पाउ अमारेलो, पाउ मरफीन, पुलाई, पुनाह, कुवाराबा, रेमिन, सपेली, साकी-साकी, सेपेटिर, सिपो, सुकूपीरा, सुरेन, सागवान, तवारी, टिआमा, तोला, विरोला, व्हाइट लाउआन, व्हाइट मेरांटी, व्हाइट सेरेया, यलोमेरांटी ; ;

- 5 (ii) शीर्ष सं0 44.07 में, स्तंभ (3) में, "अंगुली संघित" शब्दों के स्थान पर "सिरा-संघित" शब्द रखे जाएंगे;
- (iii) शीर्ष सं0 44.08 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
"वेनियर चादरें (जिसके अंतर्गत पटलित काष्ठ को तराश कर प्राप्त की गई वेनियर चादरें भी हैं), प्लाईवुड या अन्य समान प्रकार की पटलित काष्ठ और अन्य काष्ठ की चादरें जो लंबाई में चीरे गए, तराशे गए या छाल रहित हैं, चाहे समतलित, रेगमार्जित, जोड़े गए या सिरा-संघित हों या नहीं, जिनकी मोटाई 6 मिलीमीटर से अधिक नहीं है";
- 10 (iv) शीर्ष सं0 44.09 में, स्तंभ (3) में "जिसका कोई किनारा या फलक अनवरत आकारित (जिह्वित, खांचित, रिबेटित, निष्केणित, v- संघित, मनकित, सांचित, गोलाकारकृत या इसी प्रकार का) है चाहे समतलित, रेगमार्जित या अंगुलि संघित है या नहीं" शब्दों के स्थान पर, "जिसका कोई किनारा, सिरा या फलक अनवरत आकारित (जिह्वित, खांचित, रिबेटित, निष्केणित, v- संघित, मनकित, सांचित, गोलाकारकृत या इसी प्रकार का) है चाहे समतलित, रेगमार्जित या सिरा-संघित है या नहीं" शब्द रखे जाएंगे ;
- (32) अध्याय 46 में, शीर्ष सं0 46.01 में, उपशीर्ष सं0 4601.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- 15 (33) अध्याय 47 में,—
(i) उपशीर्ष सं0 4701.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"अविरंजित क्राफ्ट कागज या पेपरबोर्ड या नालीदार कागज या पेपरबोर्ड";
- (ii) उपशीर्ष सं0 4707.20 में, स्तंभ (3) में, "अन्य कागज का" शब्दों के स्थान पर "अन्य कागज" शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) उपशीर्ष सं0 4707.30 में, स्तंभ (3) में, "कागज का" शब्दों के स्थान पर "कागज" शब्द रखा जाएगा ;
- 20 (34) अध्याय 48 में,—
(i) टिप्पण 1 से 11 को क्रमशः टिप्पण 2 से 12 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 2 से पूर्व निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
' 1. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो उसके सिवाय "कागज" के प्रति निर्देश के अंतर्गत पेपरबोर्ड (प्रति मिलीमीटर मोटाई या भार का विचार किए बिना) के प्रति निर्देश है ।';
- 25 (ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 3 में, "टिप्पण 6" शब्द और अंक के स्थान पर, "टिप्पण 7" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 5 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—
' 5. शीर्ष सं0 48.02 के प्रयोजनों के लिए, "इस प्रकार का कागज और पेपरबोर्ड जिसका उपयोग लेखन, मुद्रण या अन्य आलेखी प्रयोजनों के लिए किया जाता है" और "अछिद्रित, पंचकार्ड और पंच टेप कागज" पद से ऐसे कागज और पेपरबोर्ड अभिप्रेत हैं जो मुख्यतः विरंजित लुगदी या यांत्रिक या रसायन-यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त लुगदी से बनाया गया है और जो निम्नलिखित किसी मानदंड का समाधान करता है :
30 150 जी / एम² से अनधिक भार वाले कागज या पेपरबोर्ड के लिए ;
(क) जिसमें यांत्रिक या रसायन-यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त 10% या अधिक फाइबर है, और
1. जिसका भार 80 जी / एम² से अधिक नहीं है या
2. जो द्रव्यमान पूर्ण रूप से रंजित है ; या
(ख) जिसमें 8% भस्म से अधिक है और जिसका भार 80 जी/एम² से अधिक नहीं है।
- 35 (ग) जिसमें 3% से अधिक भस्म है और जिसकी चमक 60% या अधिक है ; या
(घ) जिसमें 3% से अधिक किंतु 8% से अनधिक भस्म है और जिसकी चमक 60% से कम है और जिसका प्रस्फोटांक 2.5 के.पी.ए. एम² / जी के बराबर या उससे कम है ; या
(ङ) जिसमें 3% या कम भस्म है, जिसकी चमक 60% या अधिक है और जिसका प्रस्फोटांक 2.5 के.पी.ए. एम² / जी के बराबर या उससे कम है; या
- 40 150 जी / एम² भार वाला कागज और पेपरबोर्ड :
(क) द्रव्यमान पूर्ण रूप से रंजित है ; या
(ख) जिसकी चमक 60% या अधिक है, और
1. 225 माइक्रोमीटर (माइक्रोन) या कम का कैलिपर, या
2. 225 माइक्रोमीटर (माइक्रोन) या कम का किंतु 508 माइक्रोमीटर (माइक्रोन) या कम का और 3% से अधिक की भस्म अंतर्वस्तु वाला कैलिपर, या
45 (ग) जिसकी 60% से कम चमक वाला 254 माइक्रोमीटर (माइक्रोन) या कम का और 8% से अधिक की भस्म अंतर्वस्तु वाला कैलिपर, या तथापि, शीर्ष सं0 48.02 के अंतर्गत फिल्टर कागज या पेपर बोर्ड (जिसके अंतर्गत चाय की थैली का कागज भी है) या नमदा कागज या पेपरबोर्ड नहीं आते हैं ।';
- (iv) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 8 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—
- 50 " 8. शीर्ष सं0 48.01 और 48.03 से 48.09 केवल ऐसे कागज, पेपरबोर्ड, सेलुलोस बैडिंग और सेलुलोस फाइबर के जाल को लागू होंगे :
(क) जो 36 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ाई की पट्टियों या रोलों में हैं ;
(ख) जो आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) चादरों में हैं जिसका एक पार्श्व बिना तह लगी स्थिति में 36 सेंटीमीटर से अधिक और दूसरा पार्श्व 15 सेंटीमीटर से अधिक है ।';

(v) उपशीर्ष सं0 टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष सं0 टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

' 3. उपशीर्ष सं0 4805.11 के प्रयोजनों के लिए, "अर्द्ध रासायनिक लंबी धारी वाले कागज" से ऐसा कागज अभिप्रेत है जो रोलों में है और जो अर्द्ध रासायनिक लुगदीकरण प्रक्रिया से प्राप्त अविरंजित कठोर काष्ठ फाइबर वाले कुल फाइबर अंतर्वस्तु के भार से 65% से अन्यून है और जिसका सी.एम.टी.30 (30 मिनट के अनुकूलन के साथ कौनकोरा मीडियम परीक्षण) संदलन प्रतिरोध 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50% आपेक्षिक आर्द्रता पर 1.8 न्यूटन / जी /एम² है ।';

(vi) उपशीर्ष टिप्पण 4 और 5 को क्रमशः उपशीर्ष टिप्पण 6 और 7 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 6 से पूर्व 5 निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 4. उपशीर्ष सं0 4805.12 के अंतर्गत ऐसे कागज आते हैं जो रोलों में हैं और मुख्यः अर्द्ध रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त पुआल की लुगदी से बनाया जाता है जिसका वजन 130 जी / एम² या अधिक है और जिसका सी.एम.टी.30 (30 मिनट के अनुकूलन के साथ कौनकोरा मीडियम परीक्षण) संदलन प्रतिरोध 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50% आपेक्षिक आर्द्रता पर 1.4 न्यूटन / जी /एम² है ।

5. उपशीर्ष सं0 4805.24 और 4805.25 के अंतर्गत ऐसे कागज और पेपरबोर्ड आते हैं जो पूर्णतः या मुख्यतः कागज या कागजबोर्ड (अपशिष्ट और स्क्रेप) से प्राप्त लुगदी से बनाया जाता है । टेस्ट लाइनर में रंगे गए कागज या प्राप्त न की गई विरंजित या अविरंजित लुगदी से बनाए गए कागज की ऊपरी परत भी होती है । इन उत्पादों का 2 के.पी.ए. / एम² / जी से अन्यून मुलेन प्रस्फोटांक है ।';

(vii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपशीर्ष सं0 टिप्पण 7 में, "4810.21" अंकों के स्थान पर " 4810.22" अंक रखे जाएंगे ;

(viii) शीर्ष सं0 48.02 में, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"इस प्रकार का अविलेपित कागज और पेपर बोर्ड जिसका उपयोग लेखन, मुद्रण या अन्य आलेखी प्रयोजनों के लिए किया जाता है और अछिद्रित पंचकार्ड तथा पंच टेप कागज जो रोलों में या आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) शीटों में किसी भी साइज में हैं, शीर्ष सं0 48.01 या 48.03 के कागज से भिन्न; हस्तनिर्मित कागज और पेपरबोर्ड";

(ix) शीर्ष सं0 48.05 में, स्तंभ (3) में " टिप्पण 2" शब्द और अंक के स्थान पर, " टिप्पण 3" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(x) शीर्ष सं0 48.11 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"कागज, पोपरबोर्ड, सेलुलोसी वैडिंग और सेलुलोसी फाइबर के जाल, विलेपित, संसेचित, आच्छादित, पृष्ठ रंजित, पृष्ठ सज्जित या मुद्रित, जो रोलों या आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) शीटों में, किसी भी साइज में हैं, शीर्ष सं0 48.03, 48.09 या 48.10 में वर्णित प्रकार के माल से भिन्न ।";

(xi) शीर्ष सं0 48.23, उपशीर्ष सं0 4823.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् " -इस प्रकार का अन्य कागज और पेपरबोर्ड जिनका लेखन, मुद्रण या अन्य आलेखी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है" शब्दों और उपशीर्ष सं0 4823.51 और 4823.59 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(35) अध्याय 49 में,-

(i) टिप्पण 2 में "अभिकलित्र के" शब्दों के स्थान पर "स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष सं0 49.07 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"बिना उपयोग किए गए डाक महसूल स्टॉप, राजस्व स्टॉप और वैसे ही स्टॉप जो उस देश में, जिसमें उनका कोई मान्यताप्राप्त अंकित मूल्य है या होगा, चालू हैं या नए जारी किए गए हैं, स्टॉप छपे कागज, बैंक नोट, चैक फार्म, स्टाक शेयर प्रमाणपत्र या बंधपत्र और वैसे ही हक की दस्तावेज";

(36) अनुभाग 11 में,-

(i) उपशीर्ष टिप्पण 1 में, "(झञ्ज)" कोष्ठकों और अक्षरों से आरंभ होने वाले और "उपरोक्त प्रवर्गों के भीतर धागे या सूतों के वर्गीकरण पर प्रभाव नहीं पड़ता हैं" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" ऊपर (ञ्) से (झञ्) की परिभाषाएं यथावश्यक परिवर्तनों सहित बुने हुए या क्रोशियाकृत फेब्रिक के संबंध में लागू होंगी";

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 में, खंड (अ) में, "50 से 55" अंकों और शब्द के स्थान पर "50 से 55 या शीर्ष सं0 58.09 के" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(37) अध्याय 53 में, शीर्ष सं0 53.08 में, उपशीर्ष सं0 5308.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(38) अध्याय 54 में, शीर्ष सं0 54.08 में, उपशीर्ष सं0 5408.10 में, स्तंभ (3) में "विस्कोस रेयन का, धागा" शब्दों के स्थान पर "विस्कोस रेयन का धागा" शब्द रखे जाएंगे ;

(39) अध्याय 56 में, शीर्ष सं0 56.07 में, उपशीर्ष सं0 5607.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(40) अध्याय 58 में, शीर्ष सं0 58.04 में, स्तंभ (3) में, "शीर्ष सं0 60.02" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्ष सं0 60.02 से 60.06" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(41) अध्याय 59 में,-

(i) टिप्पण 1 में, "शीर्ष 60.02" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्ष सं0 60.02 से 60.06" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 4 में, खंड (ख) में, "शीर्ष सं0 56.04 के;" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्ष सं0 56.04 के ; और " शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष सं0 59.03 में, उपशीर्ष सं0 5903.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"पॉली (विनाइल क्लोराइड)";

(42) अध्याय 64 में,-

(i) टिप्पण 3 में, खंड (ख) में, "शीर्ष सं0 41.04 से 41.09" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्ष सं0 41.07 और 41.12 से 41.14" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(43) अध्याय 68 में,-

(i) टिप्पण 1 में, खंड (ख) में " कागज" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, क्रमशः "कागज और पेपरबोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष सं0 68.12 में, उपशीर्ष सं0 6812.10, 6812.20, 6812.30, 6812.40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(44) अध्याय 73 में, शीर्ष सं0 73.02 में, उपशीर्ष सं0 7302.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(45) अनुभाग 16 में,-

(i) टिप्पण 1 में,-

(क) खंड (ञ) में, "संवाहक पट्टे" शब्दों के स्थान पर "संवाहक पट्टे या पट्टा कपड़ा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ण) में, अंत में आने वाले "या" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(त) अध्याय 95 की वस्तुएं ; या,

(थ) टाइप राइटर या उसी प्रकार के रिबन, चाहे स्पूल पर या कार्ट्रीज में है या नहीं, (उनकी घटक सामग्री के अनुसार या शीर्ष सं0 96.12 में वर्गीकृत यदि छाप देने के लिए स्याही से या अन्यथा तैयार की गई हो) ।;

(ii) टिप्पण 2 में, खंड (क) में, "अध्याय 84 या 85" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अध्याय 84 या अध्याय 85" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो दो या अधिक मशीनों से बनी संयुक्त मशीनों को, जो संपूर्ण मशीन बनाने के लिए एक साथ फिट की गई हैं और अन्य मशीनों को, जो दो या अधिक पूरक या वैकल्पिक कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए अनुकूलित की गई हैं, उसी प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा मानो वे केवल उसी घटक की बनी हैं या ऐसी मशीन है जो प्रधान कृत्य करती है ।;

(46) अध्याय 84 में,—

(i) टिप्पण 1 में, खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ङ) शीर्ष सं0 85.09 के विद्युत-यांत्रिक घरेलू साधित्र; शीर्ष सं0 85.25 के अंकीय कैमरे ; या";

(ii) शीर्ष सं0 84.15 में,—

(क) उपशीर्ष सं0 8415.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

'- खिड़की या दीवार प्रकार की स्वतःपूर्ण या "पृथक्करण-प्रणाली";

(ख) उपशीर्ष सं0 8415.81 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"—शीतलन / ताप चक्र के उक्रमण के लिए प्रशीतन यूनिट (उलटने योग्य ताप पंप) और वाल्व से युक्त करना";

(iii) शीर्ष सं0 84.19 में, स्तंभ (3) में, "चाहे वह तापमान का परिवर्तन अंतर्वलित करने वाली प्रक्रिया जैसे के तापन, पकाना, भर्जन, आसवन, परिशोधन, निर्जीवाणुकरण, पास्तेरीकरण, भापन, शुष्कन, उद्घाषन, वाष्पन संघनन या शीतलन द्वारा सामग्रियों के उपचार के लिए विद्युत से तापित है या नहीं" शब्दों के स्थान पर "चाहे वह तापमान का परिवर्तन अंतर्वलित करने वाली प्रक्रिया जैसे कि तापन, पकाना, भर्जन, आसवन, परिशोधन, निर्जीवाणुकरण, पास्तेरीकरण, भापन, शुष्कन, उद्घाषन, वाष्पन संघनन या शीतलन द्वारा सामग्रियों के उपचार के लिए विद्युत से तापित (शीर्ष सं0 85.14 के ब्राष्ट, अवन और अन्य उपस्कर को छोड़कर) है या नहीं" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) शीर्ष सं0 84.30 में, उपशीर्ष सं0 8430.62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(v) शीर्ष सं0 84.43 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"शीर्ष सं0 84.42 के मुद्रण टाइप, ब्लाक, प्लेटें, बेलन और अन्य मुद्रण घटकों के माध्यम से मुद्रण के लिए प्रयोग की गई मुद्रण मशीन ; इंजेट मुद्रण मशीन जो शीर्ष सं0 84.71 की मशीनों से भिन्न है ; मुद्रण के सहायक उपयोगों के लिए मशीन";

(vi) शीर्ष सं0 84.61 में, उपशीर्ष सं0 8461.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vii) शीर्ष सं0 84.67 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

" हाथ से काम करने के लिए औजार, वातिल, द्रवचालित या स्वतः पूर्ण अवैद्युत मोटर सहित";

(viii) शीर्ष सं0 84.71 में, उपशीर्ष सं0 8471.50 में, स्तंभ (3) में, "उपशीर्ष सं0 8471.41 और 8471.49" शब्दों और अंकों के स्थान पर "उपशीर्ष सं0 8471.41 या 8471.49" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ix) शीर्ष सं0 84.81 में, उपशीर्ष सं0 8481.30 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"-जांच (न लौटने वाले) वाल्व"

(x) शीर्ष सं0 84.83 में, उपशीर्ष सं0 8481.30 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"-पृथक् रूप से प्रस्तुत दंतित चक्र, श्रृंखला स्प्रोकेट और वैसे ही अन्य संचारण तत्व ; पुर्जे";

(47) अध्याय 85 में,—

(i) टिप्पण 3 में,—

(क) खंड (क) में, "निर्वात निर्मलित्र" शब्दों के स्थान पर "निर्वात निर्मलित्र, जिसके अंतर्गत शुष्क और तर निर्वात निर्मलित्र भी हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) के पश्चात्, पैरा में "(शीर्ष सं0 85.08)" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "(शीर्ष सं0 84.67)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 6 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6. शीर्ष सं0 85.23 या 85.24 के रिकार्ड, टेप और अन्य माध्यम उन शीर्षों में वर्गीकृत बने रहेंगे चाहे वे उन साधित्र के साथ प्रस्तुत किए गए हैं जिनके लिए वे आशयित हैं ।

यह टिप्पण ऐसे माध्यम को लागू नहीं होता जब वे उन साधित्र से भिन्न वस्तुओं के साथ प्रस्तुत किए गए हैं जिनके लिए वे आशयित हैं ।";

(iii) टिप्पण 7 के पश्चात्, "उपशीर्ष टिप्पण" शब्दों के स्थान पर "उपशीर्ष टिप्पण" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) विद्यमान उपशीर्ष टिप्पण को उपशीर्ष टिप्पण सं0 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपशीर्ष टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2. उपशीर्ष 8542.10 के प्रयोजनों के लिए "स्मार्ट कार्ड" शब्दों से ऐसा कार्ड अभिप्रेत है जिसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत परिपथ (सूक्ष्म समुच्चय) एक चिप के रूप में समाविष्ट है और जिसमें चुंबकीय पट्टी हो सकती है या नहीं हो सकती है ।";

(v) शीर्ष सं0 85.06 में, उपशीर्ष सं0 8506.80 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"-अन्य प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियां";

(vi) शीर्ष सं0 85.08 और उपशीर्ष सं0 8508.10, 8508.20 8508.80, और 8508.90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vii) शीर्ष सं0 85.09 में, उपशीर्ष सं0 8509.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"निर्वात निर्मलित्र, जिसके अंतर्गत शुष्क और तर निर्वात निर्मलित्र भी हैं";

(viii) शीर्ष सं0 85.14 में,--

(क) स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"औद्योगिक या प्रयोगशाला विद्युत (जिनके अंतर्गत प्रेरण और परावैद्युत हैं) भ्राष्ट और अवन ; प्रेरण या परावैद्युत द्वारा सामग्रियों के तापन के लिए अन्य औद्योगिक या प्रयोगशाला उपस्कर";

(ख) उपशीर्ष सं0 8514.20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"प्रेरण तथा परावैद्युत द्वारा भ्राष्ट और अवन";

(ग) उपशीर्ष सं0 8514.40 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"प्रेरण या परावैद्युत द्वारा सामग्रियों के तापन के लिए अन्य उपस्कर";

10

(ix) शीर्ष सं0 85.18 में,--

(क) स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" माइक्रोफोन और उनके स्टेन्ड ; लाउडस्पीकर चाहे वे अपने आवेष्टनों में आरूढ़ हैं या नहीं, शीर्ष फोन और कर्णफोन, चाहे उनमें संयुक्त माइक्रोफोन है या नहीं और माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकर वाले सेट ; श्रवण आवर्ती विद्युत प्रवर्धक, विद्युत ध्वनि प्रवर्धक सेट";

(ख) उपशीर्ष सं0 8518.30 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"शीर्ष फोन और कर्णफोन चाहे उनमें संयुक्त माइक्रोफोन है या नहीं और माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकर वाले सेट";

15

(x) शीर्ष सं0 85.25 में,--

(क) स्तंभ (3) में, "स्थिर प्रतिबिंब वीडियो कैमरे और अन्य वीडियो कैमरे रिकार्डर" शब्दों के स्थान पर " स्थिर प्रतिबिंब वीडियो कैमरे और अन्य वीडियो कैमरा रिकार्डर ; डिजिटल कैमरे" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपशीर्ष सं0 8525.40 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"-स्थिर प्रतिबिंब वीडियो कैमरे और अन्य वीडियो कैमरा रिकार्डर ; डिजिटल कैमरे;

20

(48) अध्याय 87 में,--

(i) शीर्ष सं0 87.13 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"अशक्त व्यक्तियों के लिए गाड़ियां, चाहे उनमें मोटर लगी हों या नहीं अथवा अन्यथा यंत्रनोदित हैं;

(ii) शीर्ष सं0 87.14 में, उपशीर्ष सं0 8714.20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"-अशक्त व्यक्तियों की गाड़ियों के";

25

(49) अध्याय 90 में,--

(i) टिप्पण 1 में, खंड (ज) में, " स्थिर बिंब वीडियो कैमरा और अन्य वीडियो कैमरा अभिलेखन (शीर्ष सं0 85.25) ; रेडार उपकरण, रेडियो नौ-परिवहन सहायक उपकरण या रेडियो सुदूर नियंत्रण उपकरण (शीर्ष सं0 85.26)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "स्थिर प्रति बिंब वीडियो कैमरा, अन्य वीडियो कैमरा रिकार्डर और डिजिटल कैमरा (शीर्ष सं0 85.25) ; रेडार उपकरण, रेडियो नौ-परिवहन सहायक उपकरण या रेडियो सुदूर नियंत्रण उपकरण (शीर्ष सं0 85.26) ; शीर्ष सं0 85.37 के अंकीय नियंत्रण उपकरण" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

30

(ii) टिप्पण 6 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

' 6. शीर्ष सं0 90.21 के प्रयोजनों के लिए, "विकलांग साधित्र" पद से निम्नलिखित के लिए साधित्र अभिप्रेत हैं, अर्थात् :--

- शारीरिक विरूपिता को रोकने या सुधार करने ; या

- बीमारी, आप्रेशन या क्षति होने पर शरीर के भागों को सहारा देना या रखना ।

35

विकलांग साधित्र के अंतर्गत सही विकलांगता की स्थिति के लिए बनाए गए जूते और विशेष पैतावा हैं ;

परंतु यह कि वे या तो (1) माप के अनुसार या (2) अधिक उत्पादन के अनुसार बनाए जाएं, जो एकल रूप से प्रस्तुत किए जाएं न कि जोड़े में और किसी भी पैर में बराबर सही आने के लिए बनाए जाएं ।

7. शीर्ष सं0 90.32 केवल निम्नलिखित को लागू होगा :

(क) तरल पदार्थों या गैस के प्रवाह, सतह, दबाव या अन्य परिस्थितियों पर सतह नियंत्रण करने के लिए या तापमान का स्वतः नियंत्रण करने के लिए उपकरण और उपस्कर, चाहे उनका प्रचालन विद्युत परिघटना पर निर्भर करता हो या नहीं जो स्वतः नियंत्रित किए जाने के कारक के अनुसार भिन्न होता है जो इस कारक को वांछित महत्व, व्यवधानों के संबंध में स्थिरीकरण के लिए इसकी वास्तविक लागत को लगातार या आवधिक रूप से मापते हुए अभिकल्पित किए जाते हैं और बनाए रखे जाते हैं ; और

(ख) विद्युत मात्राओं के स्वचालित रेगुलेटर और गैर-विद्युतीय मात्राओं का स्वतः नियंत्रण करने के लिए उपकरण और उपस्कर जिनका प्रचालन उस कारक के अनुसार भिन्न-भिन्न विद्युत परिघटना पर निर्भर करता है जो इस तथ्य को वांछित महत्व, व्यवधानों के संबंध में स्थिरीकरण के लिए इसकी वास्तविक लागत को लगातार या आवधिक रूप से मापते हुए अभिकल्पित किए जाते हैं और बनाए रखे जाते हैं ।;

45

(iii) शीर्ष सं0 90.09 में,--

(क) स्तंभ (3) में, "फोटो प्रतिलिपिकरण" शब्द के स्थान पर "फोटोप्रतिलिपिकरण" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) शीर्ष सं0 90.09 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में स्तंभ (3) में, "फोटो प्रतिलिपिकरण" शब्द के स्थान पर "फोटोप्रतिलिपिकरण" शब्द रखा जाएगा;

(ग) उपशीर्ष सं0 9009.12 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में स्तंभ (3) में, "फोटो प्रतिलिपिकरण" शब्द के स्थान पर "फोटोप्रतिलिपिकरण" शब्द रखा जाएगा ;

50

(iv) शीर्ष सं0 90.12 में, उपशीर्ष सं0 9012.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"-प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी से भिन्न सूक्ष्मदर्शी ; विवर्तन उपकरण";

- (i) शीर्ष सं0 90.15 में, उपशीर्ष सं0 9015.20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
"-थियोडोलाइट और टैकीमीटर (टैकोमीटर)";

(50) अध्याय 95 में,--

- 5 (i) टिप्पण 1 में, खंड (प) में, "दस्ताने" शब्द के स्थान पर "दस्ताने, मिटिन और मिट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण (3) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

' 4. शीर्ष 95.03 के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं नहीं आती हैं जो उनके डिजाइन, आकार या घटक सामग्री के कारण अनन्य रूप से पशुओं के लिए आशयित रूप में जाना जाता है, अर्थात् "विशेष खिलौने (उनका अपने समुचित शीर्ष में वर्गीकरण)";

(iii) शीर्ष सं0 95.04 में, उपशीर्ष सं0 9504.30 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

- 10 "- सिक्का, बैंक नोट (कागज करेंसी), डिस्क या अन्य सामान वस्तुओं से जो बालिंग, बाउलिंग वीथि उपस्कर से भिन्न हैं, प्रचालित अन्य खेलकूद";

(51) अध्याय 96 में, शीर्ष सं0 96.13 में, उपशीर्ष सं0 9613.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(52) अध्याय 97 में,--

- (i) टिप्पण 1 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) शीर्ष सं0 49.07 के अनुपयोजित डाक महसूल स्टांप या राजस्व स्टांप, डाक सामग्री (स्टांपित पेपर) या वैसी ही वस्तुएं";

- 15 (ii) शीर्ष सं0 97.04 में, स्तंभ (3) में, "जो उपयोजित है" या यदि वे उपयोजित नहीं हैं तो ऐसे देश में, जिसके लिए वे उद्दिष्ट हैं, चालू या नए जारी की गई नहीं हैं" शब्दों के स्थान पर "जो उपयोजित हैं या उपयोजित नहीं हैं, शीर्ष सं0 49.07 से भिन्न हैं" शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 2

शीर्ष	उपशीर्ष	वस्तु का वर्णन	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--				
(1) अध्याय 1 में,				
(i) शीर्ष सं0 01.01 में, शीर्ष सं0 01.01 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में, स्तंभ (3) में, "-अश्व" और उपशीर्ष 0101.11, 0101.19 और 0101.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-				
25	"0101.10	-शुद्ध वंशज प्रजनन प्राणि	35%	..
	0101.90	-अन्य	35%	..";
(ii) शीर्ष सं0 01.06 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
"01.06		अन्य जीवित प्राणि		
-स्तनपायी				
30	0106.11	--प्राइमेट	35%	..
	0106.12	--ह्वेल, डाल्फिन और शिशुक (सिटिसिया क्रम के स्तनपायी), मेनेट और समुद्री गाय (सिरोनिया क्रम के स्तनपायी)	35%	..
	0106.19	--अन्य	35%	..
	0106.20	-सरीसृप (जिसके अंतर्गत सर्प और कछुए हैं)	35%	..
35		-पक्षी		
	0106.31	--शिकारी पक्षी	35%	..
	0106.32	--तोता किस्म (जिसके अंतर्गत तोते, पैरेकीट, मकाआ और काकातुआ भी हैं)	35%	..
	0106.39	--अन्य	35%	..
	0106.90	-अन्य	35%	..";
40	(2) अध्याय 2 में,--			
(i) शीर्ष सं0 02.08 में, उपशीर्ष सं0 0208.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
	"0208.30	-प्राइमेट के	35%	..
	0208.40	--ह्वेल, डाल्फिन और शिशुक (सिटिसिया क्रम के स्तनपायी), मेनेट और समुद्री गाय (सिरोनिया क्रम के स्तनपायी)	35%	..
45	0208.50	-सरीसृप (जिसके अंतर्गत सर्प और कछुए हैं)	35%	..
	0208.90	-अन्य	35%	..";
(ii) शीर्ष सं0 02.10 में, उपशीर्ष सं0 0210.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
"-अन्य, जिसके अंतर्गत मांस और मांस अवशिष्ट का खाद्य आटा और अवचूर्ण है				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	0210.91	-प्राइमेट के	35%	..
	0210.92	-ह्वेल, डाल्फिन और शिशुक (सिटेसिया क्रम के स्तनपायी), मेनेट और समुद्री गाय (सिरोनिया क्रम के स्तनपायी)	35%	..
	0210.93	-सरीसृप (जिसके अंतर्गत सर्प और कछुए हैं)	35%	..
	0210.99	-अन्य	35%	.. [#] ;
(3) अध्याय 3 में,—				
(i) शीर्ष सं० 03.02 में, उपशीर्ष सं० 0302.33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—				
	"0302.34	-बिगेर टूनस (थुनस ओबेसस)	35%	..
	0302.35	-ब्लूफिन टूनस (थुनस थाइनस)	35%	..
	0302.36	-दक्षिणी ब्लूफिन टूनस (थुनस माकाई)	35%	.. [#] ;
(ii) शीर्ष सं० 03.03 में,—				
(क) उपशीर्ष सं० 0303.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—				
		"-प्रशांत सालमन (आंकोरहाइनक्स नेरका, आंकोरहाइनक्स गोस्वस्वा, आंकोरहाइनक्स केटा, आंकोरहाइनक्स शुवेत्सका, आंकोरहाइनक्स किसुच, आंकोरहाइनक्स मासो और आंकोरहाइनक्स रोडोरस) लीवर और रोज को छोड़कर :		15
	0303.11	-सोकेई सालमन (लाल सालमन) (आंकोरहाइनक्स नेरका)	35%	..
	0303.19	-अन्य	35%	.. [#] ;
(ख) उपशीर्ष सं० 0303.43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—				
	"0303.44	-बिगेर टूनस (थुनस ओबेसस)	35%	..
	0303.45	-ब्लूफिन टूनस (थुनस थाइनस)	35%	..
	0303.46	-दक्षिणी ब्लूफिन टूनस (थुनस माकाई)	35%	.. [#] ;
(4) अध्याय 7 में,—				
(i) शीर्ष सं० 07.09 में, उपशीर्ष सं० 0709.51 और 0709.52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—				
	"0709.51	-अगारीकस जीनस की खुंबी	35%	15%
	0709.52	-ट्रफल	35%	15%
	0709.59	-अन्य	35%	15% [#] ;
(ii) शीर्ष सं० 07.11 में, उपशीर्ष सं० 0711.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—				
		" खुंबी और ट्रफल:		
	0711.51	-अगारीकस जीनस की खुंबी	35%	15%
	0711.59	-अन्य	35%	15% [#] ;
(iii) शीर्ष सं० 07.12 में, उपशीर्ष सं० 0712.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—				
		"खुंबी, काष्ठ बाली (अवरीक्यूलेयरिया एसपीपी) जेली फुंगी (ट्रेमेला एसपीपी) और ट्रफल:		
	0712.31	-अगारीकस जीनस की खुंबी	35%	15%
	0712.32	-काष्ठ बाली (अवरीक्यूलेयरिया एसपीपी)	35%	15%
	0712.33	-जेली फुंगी (ट्रेमेला एसपीपी)	35%	15%
	0712.39	-अन्य	35%	15% [#] ;
(5) अध्याय 8 में, —				
(i) शीर्ष सं० 08.05 में, उपशीर्ष सं० 0805.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—				
	"0805.50	-नींबू (नींबू कुल नींबू, नींबू कुल लिमोनस) और कागजी नींबू (नींबू कुल औरैटीफोलिया, नींबू कुल लेटीफोलिया)	40%	30% [#] ;
(ii) शीर्ष सं० 08.10 में, उपशीर्ष सं० 0810.50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—				
	"0810.60	-डुरियन	35%	15%
(6) अध्याय 11 में, शीर्ष सं० 11.03 में, उपशीर्ष सं० 1103.19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में, "-गुटिका" शब्दों और उपशीर्ष सं० 1103.21 और 1103.29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—				
	"1103.20	-गुटिका	35%	.. [#] ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		(7) अध्याय 12 में, --			
		(i) शीर्ष सं0 12.05 में, उपशीर्ष सं0 1205.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--			
5	"12.05	तोरिया या कोल्जा बीज, चाहे टूटे हैं या नहीं			
	1205.10	-निम्न इरुशक अम्ल तोरिया या कोल्जा बीज	35%	25%	
	1205.90	-अन्य	35%	25%";	
		(ii) शीर्ष सं0 12.09 में, शीर्ष सं0 12.09 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग में स्तंभ (3) में, " -चुकन्दर बीज" शब्दों और उपशीर्ष सं0 1209.11 और 1209.19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों और " -हरे चारे के पौधों के बीज, चुकंदर बीज से भिन्न" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
10	"1209.10	-चुकन्दर बीज	35%	..	
		-हरे चारे के पौधे के बीज;";			
		(iii) शीर्ष सं0 12.11 में, उपशीर्ष सं0 1211.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--			
15	"1211.30	-कोको पत्ती	35%	..	
	1211.40	-पोस्त तृण	35%	..";	
		(8) अध्याय 14 में, --			
		(i) शीर्ष सं0 14.02 में, उपशीर्ष सं0 1402.10 और 1402.90 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
20	"14.02	1402.00	इस प्रकार की वनस्पति सामग्री जिसका उपयोग प्रथमतः भराई करने या पैड लगाने के लिए किया जाता है (उदाहरणार्थ भस्मली तंतु, वनस्पति रोम और ईल घास), चाहे उसे आलंबन सामग्री सहित या उसके बिना परतों में रखा गया है या नहीं	35%	..";
		(ii) शीर्ष सं0 14.03 में, उपशीर्ष 1403.10 और 1403.90 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
25	"14.03	1403.00	इस प्रकार की वनस्पति सामग्री जिसका उपयोग प्रथमतः झाड़ू और बुशों में किया जाता है (उदाहरणार्थ मकान, पिसावा, का उन्च घास और इस्ले), चाहे अट्टियों या बंडलों में है या नहीं	35%	..";
		(9) अध्याय 15 में, --			
		(i) शीर्ष सं0 15.05 में, उपशीर्ष सं0 1505.10 और 1505.90 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
30	"15.05	1505.00	उर्ण ग्रीज और उससे व्युत्पन्न वसा पदार्थ (इसके अंतर्गत लेनोलिन है)	35%	..";
		(ii) शीर्ष सं0 15.14 में, उपशीर्ष सं0 1514.10 और 1514.90 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
		" -निम्न इरुसिस अम्ल तोरिया या कोल्जा तैल और उसके प्रभाज :			
35	1514.11	--कच्चा तेल	75%	25%	
	1514.19	--अन्य	75%	25%	
		-अन्य :			
	1514.91	--कच्चा तेल	75%	25%	
	1514.99	--अन्य	75%	25%";	
		(10) अध्याय 17 में, शीर्ष सं0 17.02 में, उपशीर्ष सं0 1702.40, 1702.50, 1702.60 और 1702.90 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
40	"1702.40	-ग्लूकोस और ग्लूकोस शर्बत, जिसमें फ्रक्टोस शुष्क अवस्था में भार के आधार पर कम से कम 20% किंतु 50% से कम है, जिसके अंतर्गत प्रतीप चीनी नहीं है	35%	..	
	1702.50	-रसायनिक रूप से शुद्ध फ्रक्टोस	35%	..	
45	1702.60	-अन्य फ्रक्टोस और फ्रक्टोस शर्बत, जिसमें फ्रक्टोस शुष्क अवस्था में भार के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक है, जिसके अंतर्गत प्रतीप चीनी नहीं है ।	35%	..	
	1702.90	-अन्य, जिसके अंतर्गत प्रतीप चीनी है और अन्य चीनी और चीनी शर्बत मिश्रण जिसमें फ्रक्टोस शुष्क अवस्था में भार के आधार पर है।	35%	..";	
		(11) अध्याय 19 में,-			
50	(i) शीर्ष सं0 19.04 में, उपशीर्ष सं0 1904.20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
	"1904.30	--फुला हुआ गेहूं	35%	..";	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ii)	शीर्ष सं० 19.05 में, उपशीर्ष सं० 1905.30 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
		" -मीठा बिस्कुट ; वैफेल और वेफर		
	1905.31	--मीठा बिस्कुट	45%	..
	1905.32	--वैफेल और वेफर	45%	.. ;
(12)	अध्याय 20 में,--			5
(i)	शीर्ष सं० 20.03 में, उपशीर्ष सं० 2003.10 और 2003.20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
	"2003.10	--कुकुरमुत्ता जीनस की खुंबी	35%	..
	2003.20	--ट्रफल	35%	..
	2003.90	--अन्य	35%	.. ;
(ii)	शीर्ष सं० 20.09 में, उपशीर्ष सं० 2009.11, 2009.19, 2009.20, 2009.30, 2009.40, 2009.50, 2009.60 और 2009.70 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
	"2009.11	--हिमशीतित	35%	..
	2009.12	--हिमशीतित नहीं, 20 से अनधिक ब्रिक्स मूल्य का	35%	..
	2009.19	--अन्य	35%	..
		--ग्रेप फ्रूट का रस:		
	2009.21	--20 से अनधिक ब्रिक्स मूल्य का	35%	..
	2009.29	--अन्य	35%	..
		--किसी अन्य एकल फल या वनस्पति का रस:		20
	2009.31	--20 से अनधिक ब्रिक्स मूल्य का	35%	..
	2009.39	--अन्य	35%	..
		--अन्नानास का रस:		
	2009.41	--20 से अनधिक ब्रिक्स मूल्य का	35%	..
	2009.49	--अन्य	35%	..
	2009.50	--टमाटर का रस	35%	..
		--अंगूर का रस (जिसमें अंगूर की कच्ची शराब है) :		
	2009.61	--30 से अनधिक ब्रिक्स मूल्य का	35%	..
	2009.69	--अन्य	35%	..
		--सेब का रस:		30
	2009.71	--20 से अनधिक ब्रिक्स मूल्य का	35%	..
	2009.79	--अन्य	35%	.. ;
(13)	अध्याय 23 में,--			
(i)	शीर्ष सं० 23.06 में, उपशीर्ष सं० 2306.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
		" -तोरिया या कोलजा के बीज		35
	2306.41	--निम्न इरुसिक अम्ल तोरिया या कोलजा बीज	35%	..
	2306.49	--अन्य	35%	.. ;
(ii)	शीर्ष सं० 23.08 में, उपशीर्ष सं० 2308.10 और 2308.90 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
"23.08	2308.00	प्राणि खाद्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रकार की वनस्पति सामग्री और वनस्पति उपशिष्ट वनस्पति अवशिष्ट और उत्पादोत्पाद, चाहे गुटिका के रूप में है या नहीं, जो अन्य, विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है।	35%	.. ;
(14)	अध्याय 26 में,--			
(i)	शीर्ष सं० 26.20 में,--			
(क)	उपशीर्ष सं० 2620.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			45
		" -जिसमें मुख्य रूप से सीसा है		
	2620.21	--सीसित गैसोलिन अवमल और सीसित आघातरोधी मिश्रण अवमल	5%	..
	2620.29	--अन्य	5%	.. ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ख) उपशीर्ष सं0 2620.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--			
5	"2620.60	-जिसमें इस प्रकार का आर्सेनिक, पारा, थालियम या उनके सम्मिश्रण हैं, जिसका उपयोग आर्सेनिक या उन धातुओं के निष्कर्षण या उनके रासायनिक मिश्रण के विनिर्माण के लिए किया जाता है।	5%	..";
	(ग) उपशीर्ष सं0 2620.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--			
	" -अन्य			
	2620.91	--जिसमें एंटीमोनी, बेरीलियम, केडमियम, क्रोमियम या उनके सम्मिश्रण हैं।	5%	..
	2620.99	--अन्य	5%	..";
10	(घ) शीर्ष सं0 26.21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--			
	"26.21	अन्य धातुमल और भस्म जिसके अंतर्गत समुद्री खरपतवार भस्म (केल्प) और नगरपालिक अपशिष्ट के भस्मीकरण की भस्म और अवशिष्ट है।		
	2621.10	-- नगरपालिक अपशिष्ट के भस्मीकरण की भस्म और अवशिष्ट	5%	..
	2621.90	-- अन्य	5%	..";
15	(15) अध्याय 27 में, शीर्ष सं0 27.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--			
	"27.10	पेट्रोलियम तेल तथा बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, कच्चे तेल से भिन्न, ऐसी निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, भार के आधार पर, 70 प्रतिशत या उससे अधिक है, जब यह तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक है ; अवशिष्ट तेल		
20		--पेट्रोलियम तेल तथा बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, (कच्चे तेल से भिन्न) और ऐसी निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल भार के आधार पर, 70 प्रतिशत या उससे अधिक है, जब ये तेल उन निर्मितियों के मूल संघटक है ; अपशिष्ट तेल से भिन्न:		
25	2710.11	--हल्के तेल और निर्मितियां	35%	..
	2710.19	--अन्य	35%	
	2710.91	--बहुक्लोरीनीकृत बाफेनिल (पीसीबी) बहुक्लोरीनीकृत टरफेनिल (पीसीटी) या बहुक्लोरीनीकृत बाइफेनिल (पीबीबी)	35%	..
30	2710.99	--अन्य	35%	..";
	(16) अध्याय 28 में,--			
	(i) शीर्ष सं0 28.05 में, शीर्ष सं0 28.05 के ठीक पश्चात् वाले भाग में, स्तंभ (3) में की, "क्षारीय धातुएं", उपशीर्ष सं0 2805.11 और 2805.19 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां और " क्षारीय भू-धातुएं" और उपशीर्ष सं0 2805.21 और 2805.22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--			
35		" - क्षार या क्षारीय भू-धातुएं :		
	2805.11	--सोडियम	35%	..
	2805.12	--कैल्शियम	35%	..
	2805.19	--अन्य	35%	..";
40	(ii) शीर्ष सं0 28.16 में, उपशीर्ष सं0 2816.20 और 2816.30 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--			
	"2816.40	--स्ट्रान्शियम या बेरियम के आक्साइड, हाइड्राक्साइड और पैराक्साइड	35%	..";
	(17) अध्याय 29 में,--			
	(i) शीर्ष सं0 29.05 में, उपशीर्ष सं0 2905.50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--			
		" - अचक्रिय एल्कोहाल के हैलोजेनेटित, सल्फोनेटित, नाइट्रेटित या नाइट्रोसेटित व्युत्पन्न :		
45	2905.51	--इथक्लोरोवीनाल(आइएनएन)	35%	..
	2905.59	--अन्य	35%	..";
	(ii) शीर्ष सं0 29.21 में, उपशीर्ष सं0 2921.45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--			
50	"2921.46	--एमफेटामिन(आइएनएन), बेंजफेटामिन(आइएनएन), डक्साफेटामिन (आइएनएन), एटिलाफेटामिन(आइएनएन), फेन्कामफेटामिन (आइएनएन), लेफेटामिन(आइएनएन), लेवामफेटामिन(आइएनएन), मेफेनोरेक्स(आइएनएन) और फेन्टरमिन(आइएनएन) ; उनके लवण	35%	..";

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(iii)	शीर्ष सं० 29.22 में,--			
	(क) उपशीर्ष सं० 2922.13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-			
	"2922.14	--डेक्ट्रोप्रोपोक्सीफिन(आइएनएन) और इसके लवण	35%	.. ;
	(ख) उपशीर्ष सं० 2922.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियां और उपशीर्ष सं० 2922.30 के तत्काल बाद आने वाले स्तंभ(3) में " एमिनो अम्ल और उनसे भिन्न जिनमें एक से अधिक प्रकार के आक्सीजन समूह हैं उनके लवण" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			5
		"एमिनोएल्लिहाइड, एमीनो कीटोन और एमीनो क्वीनोन, उनसे भिन्न जिनमें एक से अधिक प्रकार के आक्सीजन समूह हैं उनके लवण :		
	2922.31	--एम्फीप्रामोन(आइएनएन), मेथाडोन(आइएनएन) और नारमेथाडोन(आइएनएन)	35%	..
	2922.39	--अन्य --एमीनो अम्ल, और उनके एस्टर, उनसे भिन्न, जिनमें एक से अधिक प्रकार के आक्सीजन समूह हैं, उनके लवण	35%	..
	(ग) उपशीर्ष सं० 2922.43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-			15
	"2922.44	-- टिलीडाइन(आइएनएन) और इसके लवण:	35%	.. ;
(iv)	शीर्ष सं० 29.24 में, -			
	(क) उपशीर्ष सं० 2924.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
		"अचक्रीय एमाइड(जिसके अंतर्गत अचक्रीय कार्बोनेट है) और उनके व्युत्पन्न ; उनके लवण :		20
	2924.11	--मेप्रोबमेट(आइएनएन)	35%	..
	2924.19	--अन्य	35%	.. ;
	(ख) उपशीर्ष सं० 2924.22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
	"2924.23	--एसटामाइडोबेंजोइक अम्ल (एन-एसेटीलनश्रानिलिक अम्ल) और उसके लवण	35%	..
	2924.24	--एथिनामेट (आई एन एन)	35%	.. ;
(v)	शीर्ष सं० 29.25 में, उपशीर्ष सं० 2925.11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-			
	"2925.12	--ग्लूटेथिमाइड (आई एन एन)	35%	.. ;
(vi)	शीर्ष सं० 29.26 में, उपशीर्ष सं० 2926.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-			30
	"2926.30	--फेंप्रोपोरेक्स (आई एन एन) और उसके लवण ; मेथाडोन (आई एन एन मध्यवर्ती (4-साइयानो-2-डाइमेथिलमीनो-4, 4-डाइफेनाबुटेन)	35%	.. ;
(vii)	शीर्ष सं० 29.32 में, उपशीर्ष सं० 2932.94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-			
	"2932.95	--टेट्राहाइड्रोकेन्बिनोल्स (सभी समावयवी)	35%	.. ;
(viii)	शीर्ष सं० 29.33 में,--			
	(क) उपशीर्ष सं० 2933.32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-			
	"2933.33	--अल्फेंटानील (आई.एन.एन), एनिलेरीडाइन (आई.एन.एन), बेजीट्रामाइड (आई.एन.एन), ब्रोमाजेपम (आई.एन.एन), ब्रोमाजेपम (आई.एन.एन), डाइफेंनोक्सिन (आई.एन.एन), डाइफेनोक्सीलेट (आई.एन.एन), डाइपीपनोन (आई.एन.एन), फेंटानाइल (आई.एन.एन), केटो बेमीडोन (आई.एन.एन), मेथिलफेनीडेट (आई.एन.एन), पेंटाडोसीन (आई.एन.एन), पेथीडीन (आई.एन.एन), पेथीडीन(आई.एन.एन) मध्यवर्ती क, फेनसाइक्लीडाइन (आई.एन.एन) (पी सी पी), फेनोपेरीडाइन (आई.एन.एन), पीपराडोल (आई.एन.एन), पिरीट्रामाइड (आई.एन.एन), प्रोपीरम (आई.एन.एन) और ट्रिमेपेरीडाइन (आई.एन.एन) ; उनके लवण	35%	.. ;
	(ख) उपशीर्ष सं० 2933.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
		"- यौगिक, जिसमें क्यूनोलिन या आइसोक्यूनोलिन वलय-प्रणाली है (चाहे वह हाइड्रोजेनेटित है या नहीं), जो और संगलित नहीं है :		
	2933.41	--लीवरफेनोल और उसके लवण	35%	..
	2933.49	--अन्य	35%	.. ;
(ग)	उपशीर्ष सं० 2933.51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
	"2933.52	--मैलनिल्यूरिया (बार्बीट्यूरिक अम्ल) और उसके लवण	35%	..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5	2933.53	--एलोबार्बिटल (आई एन एन), एमोबार्बिटल (आई एन एन), बार्बिटल (आई एन एन), बूटालबिटल (आई एन एन), बूटोबार्बिटल (आई एन एन), साइक्लोबार्बिटल (आई एन एन), मेथिलफेनोबार्बिटल (आई एन एन), पेंटोबार्बिटल (आई एन एन), फेनोबार्बिटल (आई एन एन), सेकबूटोबार्बिटल (आई एन एन), सेकोबार्बिटल (आई एन एन) और विनाइलबिटल (आई एन एन); उनके लवण	35%	..	
	2933.54	--मैलोनील्यूरीया के अन्य व्युत्पन्न (बार्बिट्यूरिक अम्ल); उनके लवण	35%	..	
	2933.55	--लेप्राजोलम (आई एन एन), मक्लोक्वालोम (आई एन एन), मेथाक्वालोम (आई एन एन), और जाइप्रोल (आई एन एन); उनके लवण	35%	..";	
10	(घ) उपशीर्ष सं0 2933.71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :- "2933.72	--क्लोबाज्म (आई एन एन) और मेथीप्राइलोन (आई एन एन)	35%	..";	
	(ङ) उपशीर्ष सं0 2933.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :- -अन्य :				
15	2933.91	--एल्प्राजोलम (आई एन एन), कामाजेपम (आई एन एन), क्लोरडाइएजेपोक्साइड (आई एन एन), क्लोनाजेपम (आई एन एन), क्लोराजपेट, डेवलोरजेपम (आई एन एन), डाइजेपम (आई एन एन), एस्टाजोलम (आई एन एन), एथिल लोफ्लाजपेट (आई एन एन), फ्लूडियाजेपम (आई एन एन), फ्लूनिद्राजेपम (आई एन एन), फअलूराजेपम (आई एन एन), हालाजेपम (आई एन एन), लोराजेपम (आई एन एन), लोरमेटाजेपम (आई एन एन), मजिनडो (आई एन एन), मेडाजेपम (आई एन एन), मिडाजेलम (आई एन एन), निमेटाजेपम (आई एन एन), नाइद्राजेपम (आई एन एन), नोर्डाजेपम (आई एन एन), प्राजेपम (आई एन एन), पाइरोवेल्सो (आई एन एन), टेमाजेपम (आई एन एन), टेद्राजेपम (आई एन एन) और ट्रियाजोलम (आई एन एन); उनके लवण	35%	..	
	2933.99	--अन्य	35%	..";	
25	(ix) शीर्ष सं0 29.34 में, उपशीर्ष सं0 2934.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :- "-अन्य :				
30	2934.91	--एमिनोरेक्स (आई एन एन), ब्रोटीजोलम (आई एन एन), क्लोटियाजेपम (आई एन एन), क्लोक्साजोलम (आई एन एन), डेक्सट्रोमोरामाइड (आई एन एन), हेल्सोक्साजोलम (आई एन एन), कंटाजोलम (आई एन एन), मेसोकार्ब (आई एन एन), ओक्साजोलम (आई एन एन), पेमोलीन (आई एन एन), फेनडाइमेट्राजाइन (आई एन एन), फेनमेट्राजाइन (आई एन एन) और सुफंटानिल (आई एन एन); उनके लवण	35%	..	
	2934.99	--अन्य	35%	..";	
35	"29.37	हार्मोन, प्रोस्टाग्लानडिन, थ्रोमबाक्सेन और ल्यूकोट्राइन, प्राकृतिक या संश्लेषण द्वारा पुनरुत्पादित ; उसके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप, जिसके अंतर्गत प्रथमतः हार्मोन के रूप में प्रयुक्त श्रृंखला उपांतरित पालिपेपटाइड भी हैं -पालिपेपटाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, उनके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप :			
40	2937.11	--सोमाटोट्रापीन, उसके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप	35%	25%	
	2937.12	--इनसुलीन और उसके लवण	35%	25%	
	2937.19	--अन्य			
		--स्टेरोइडल हार्मोन, उनके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप :	35%	25%	
45	2937.21	--कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनाइसोन (डिहाइड्रोहाइड्रोकोर्टिसोन) और प्रेडनाइसोलोन (डिहाइड्रोहाइड्रोकोर्टिसोन)	35%	25%	
	2937.22	--कोर्टिकोस्टेरोइडल हार्मोन के हेलोजनेटिड व्युत्पन्न	35%	25%	
	2937.23	--ओएस्ट्रोजीन और प्रोजेसटोजीन	35%	25%	
	2937.29	--अन्य			
		--केटकोलमाइन हार्मोन, उनके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप:	35%	25%	
50	2937.31	--इपाइनफ्रिन	35%	25%	
	2937.39	--अन्य	35%	25%	
	2937.40	--एमिनो-अम्ल व्युत्पन्न	35%	25%	
	2937.50	--प्रोस्टाग्लानडिन, थ्रोमबाक्सेन और ल्यूकोट्राइन, उनके व्युत्पन्न और संरचनात्मक सदृश रूप :	35%	25%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2937.90	-अन्य	35%	25%#;
(xi) शीर्ष सं0 29.39 में,-				
(क) उपशीर्ष सं0 2939.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
		" -अफीम के एल्कालायड और उनके व्युत्पन्न ; उनके लवण :		5
	2939.11	--पोस्त तृण के सांद्र ; बूप्रेनोरफाइन (आई एन एन), कोडेइन, डिहाइड्रोकोडेइन (आई एन एन), एथिलमार्फिन, इटोरफिन (आई एन एन), हिरोइन, हाइड्रोकोडोन (आई एन एन), हाइड्रोमार्फिन (आई एन एन), मार्फिन, निकोमार्फिन (आई एन एन), आक्सीकोडोन (आई एन एन), आक्सीमार्फोन (आई एन एन), फोलकोडिन (आई एन एन), थिबेकन (आई एन एन), और थिबेन ; उसके लवण	35%	10
	2939.19	--अन्य	35%	..#;
(ख) उपशीर्ष सं0 2939.42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-				
	"2939.43	--केथाइन(आई एन एन) और उसके लवण	35%	25%#;
(ग) उपशीर्ष सं0 2939.50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				15
		" -थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन (थियोफाइलिन-एथिलिनडाइएमीन) और उनके व्युत्पन्न; उनके लवण :		
	2939.51	-- फेनेटाइलिन(आई एन एन) और उसके लवण	35%	25%
	2939.59	--अन्य	35%	25%#;
(घ) उपशीर्ष सं0 2939.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				20
		" -अन्य		
	2939.91	--कोकेन, इकगोनाइन, लेवोमेटामफेटामाइन, मेटामफेटामाइन(आई एन एन) मेटामफेटामाइन रेसमेट ; उसके लवण, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न	35%	..#;
	2939.99	--अन्य	35%	..#;
(18) अध्याय 30 में, शीर्ष सं0 30.06 के उपशीर्ष सं0 3006.60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-				25
	"3006.70	-शल्य संक्रियाओं या शारीरिक परीक्षाओं के लिए शरीर के अंगों के लिए स्नेहक के रूप में या शरीर और चिकित्सा यंत्रों के बीच युग्मक कर्मक के रूप में मानव या पशु चिकित्सा में प्रयुक्त होने के लिए परिकल्पित जेल निर्मितियां	35%	..#;
	3006.80	-अपशिष्ट भेषजीय	35%	..#;
(19) अध्याय 34 में, शीर्ष सं0 34.01 के उपशीर्ष सं0 3401.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-				
	"3401.30	-तरल या क्रीम के रूप में चर्म धोवन के लिए कार्बनिक-पृष्ठ-सक्रिय निर्मितियां जिन्हें फुटकर विक्रय के लिए प्रस्तुत किया गया हो, चाहे उसमें साबुन हो या नहीं	35%	..#;
(20) अध्याय 37 में, शीर्ष सं0 37.02 के उपशीर्ष सं0 3702.91, 3702.92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				35
	"3702.91	--16मी.मी.से अनधिक चौड़ाई का	25%	..#;
(21) अध्याय 38 में,-				
(i) शीर्ष सं0 सं0 38.17 के उपशीर्ष सं0 3817.10 और 3817.20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				40
"38.17	3817.00	मिश्रित ऐल्किलबेंजीन और मिश्रित ऐल्किलनेफथेलीन, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 सं0 27.07 या 29.02 में हैं	35%.	..#;
(ii) शीर्ष सं0 सं0 38.24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-				
"38.25		रासायनिक या सहायक उद्योगों के अवशिष्ट उत्पाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है ; नगरपालिक अपशिष्ट, मल अवमल ; अन्य अपशिष्ट ; जो इस अध्याय के टिप्पण 6 में विनिर्दिष्ट है		45
	3825.10	-नगरपालिक अपशिष्ट	35%	..
	3825.20	-मल अवमल	35%	..
	3825.30	-क्लिनिक संबंधी अपशिष्ट -अपशिष्ट कार्बनिक विलायक :	35%	..
	3825.41	--हेलोजिनेटिड	35%	..
	3825.49	--अन्य	35%	..
				50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3825.50	-धातु अम्लोपचारी लिकर, हाइड्रोलिक तरल, ब्रेक तरल और हिमरोधी तरल के अपशिष्ट	35%	..
5		-रासायनिक या सहबद्ध उद्योग के अन्य अपशिष्ट :		
	3825.61	--जिनमें मुख्यतः कार्बनिक घटक हैं	35%	..
	3825.69	--अन्य	35%	..
	3825.90	--अन्य	35%	..";
	(22) अध्याय 39 में, शीर्ष सं० 39.20 के उपशीर्ष सं० 3920.41 और 3920.42 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
10	"3920.43	--जिनमें प्लास्टीसिसर के 6% से अन्यून वजन के अनुसार है	35%	..
	3920.49	--अन्य	35%	..";
	(23) अध्याय 40 में,—			
	(i) शीर्ष सं० 40.09 के उपशीर्ष सं० 4009.10, 4009.20, 4009.30, 4009.40, 4009.50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
15	"40.09	कठोर रबड़ से भिन्न वल्कनीकृत रबड़ की नटिका, पाइपें और होज, चाहे वे उनकी फिटिंग के साथ है या नहीं (उदाहरणार्थ जोड़, एल्बी, फ्लेंज)		
		--जो अन्य सामग्रियों के साथ प्रबलित या अन्यथा संयोजित नहीं हैं :		
	4009.11	-- फिटिंग के बिना	35%	..
	4009.12	--फिटिंग सहित	35%	..
20		--केवल धातु के साथ प्रवाहित या अन्यथा संयोजित :		
	4009.21	--फिटिंग के बिना	35%	..
	4009.22	--फिटिंग सहित	35%	..
		--केवल टेक्साटाइल सामग्रियों के साथ प्रबलित या अन्यथा संयोजित :		
	4009.31	--फिटिंग के बिना	35%	..
25	4009.32	--फिटिंग सहित	35%	..
		--अन्य सामग्रियों के साथ प्रबलित या संयोजित :		
	4009.41	--फिटिंग के बिना	35%	..
	4009.42	--फिटिंग सहित	35%	..";
30	(ii) शीर्ष सं० 40.10 में उपशीर्ष सं० 4010.21, 4010.22, 4010.23, 4010.24, और 4010.29 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
	4010.31	--समलंबी अनुप्रस्थ काट (v पट्टा) का सिराहीन संचारण पट्टा, v -धारीदार, का 60 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 180 सेंटीमीटर से अनधिक बाहरी परिधि का	35%	..
	4010.32	--समलंबी अनुप्रस्थ काट (v पट्टा) का सिराहीन संचारण पट्टा, v -धारीदार से भिन्न, 60 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 180 सेंटीमीटर से अनधिक बाहरी परिधि का	35%	..
35	4010.33	--समलंबी अनुप्रस्थ काट (v पट्टा) का सिराहीन संचारण पट्टा, v -धारीदार, 180 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 240 सेंटीमीटर से अनधिक बाहरी परिधि का	35%	..
	4010.34	--समलंबी अनुप्रस्थ काट (v पट्टा) का सिराहीन संचारण पट्टा, v -धारीदार से भिन्न, 180 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 240 सेंटीमीटर से अनधिक बाहरी परिधि का	35%	..
40	4010.35	--60 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 150 सेंटीमीटर से अनधिक परिधि के सिराहीन तुल्यकालिक पट्टे	35%	..
	4010.36	--150 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 198 सेंटीमीटर से अनधिक परिधि के सिराहीन तुल्यकालिक पट्टे	35%	..
	4010.39	--अन्य	35%	..";
45	(iii) शीर्ष सं० 40.11 में, उपशीर्ष सं० 4011.50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में " --अन्य : " शब्द और उपशीर्ष सं० 4011.91 और 4011.99 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
		' --अन्य, जिसमें "हेरिंग बोन" या वैसी ही ट्रीड है :		
	4011.61	-- इस प्रकार की, जिनका उपयोग कृषि या वन संबंधी यानों और मशीनों पर किया जाता है	35%	..
50	4011.62	--इस प्रकार की, जिनका उपयोग सन्निर्माण या औद्योगिक उठाई-धराई यानों और मशीनों पर किया जाता है और जिनका रिम आकार 61 से. मी. से अधिक न हो	35%	..
	4011.63	--इस प्रकार की, जिनका उपयोग सन्निर्माण या औद्योगिक उठाई-धराई यानों और मशीनों पर किया जाता है और जिनका रिम आकार 61 से.मी. से अधिक हो	35%	..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4011.69	--अन्य	35%	..
		-अन्य :		
	4011.92	इस प्रकार की, जिनका उपयोग कृषि या वन संबंधी यानों और मशीनों पर किया जाता है	35%	.. 5
	4011.93	--इस प्रकार की, जिनका उपयोग सन्निर्माण या औद्योगिक उठाई-धराई यानों और मशीनों पर किया जाता है और जिनका रिम आकार 61 से.मी. से अनधिक हो	35%	..
	4011.94	--इस प्रकार की, जिनका उपयोग सन्निर्माण या औद्योगिक उठाई-धराई यानों और मशीनों पर किया जाता है और जिनका रिम आकार 61 से.मी. से अधिक हो	35%	..
	4011.99	--अन्य	35%	..; 10
(iv) शीर्ष सं० 40.12, उपशीर्ष सं० 4012.10, 4012.20, 4012.90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
'40.12		रबड़ के रिट्रीड किए गए या उपयोग किए गए वातिल टायर ; ठोस या कुशन टायर, टायर ट्रीड और टायर फ्लैप :		
	4012.11	--इस प्रकार के, जिनका उपयोग मोटर कारों (जिनके अंतर्गत स्टेशन वैगन और दौड़ कारें हैं) में किया जाता है	35%	.. 15
	4012.12	--इस प्रकार के, जिनका उपयोग बसों या लारियों में किया जाता है	35%	..
	4012.13	--इस प्रकार के, जिनका उपयोग वायुयान में किया जाता है	35%	..
	4012.19	--अन्य	35%	..
	4012.20	--उपयोग किए गए वातिल टायर	35%	.. 20
	4012.90	--अन्य	35%	..; "
(24) अध्याय 41 में,--				
(i) शीर्ष सं० 41.01, उपशीर्ष सं० 4101.10, 4101.21, 4101.22, 4101.29, 4101.30, 4101.40 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
"41.01		गोकुलीय (जिसके अंतर्गत भैंस भी है) .या अश्वकुलीय प्राणियों की कच्ची खालें और चर्म (जो ताजे या लवणित, शुष्कित, चूनोपचारित, अम्लोपचारित या अन्यथा परिरक्षित हैं किंतु संस्कारित, पार्चमेंट प्रसाधित या और निर्मित नहीं हैं) चाहे विरोमित या विपाटित हैं या नहीं		25
	4101.20	-साबूत खालें और चर्म, जब साधारण शुष्कित हों तो 8 कि.ग्रा. से अधिक, जब शुष्क-लवणित हों तो 10 कि.ग्रा. या जब ताजा नम-लवणित या अन्यथा परिरक्षित हों तो 16 कि.ग्रा. प्रति चर्म भार के	निःशुल्क	.. 30
	4101.50	-साबूत खालें और चर्म, 16 कि.ग्रा. से अधिक भार के	निःशुल्क	..
	4101.90	-अन्य, जिसके अंतर्गत बट, बेंड और बेली हैं	निःशुल्क	..; "
(ii) उपशीर्ष सं० 4103.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
	"4103.30	--शूकर का	निःशुल्क	..; 35
(iii) शीर्ष सं० 41.04, 41.05, 41.06, 41.07, 41.08, 41.09, 41.10, 41.11, उपशीर्ष सं० 4104.10, 4104.21, 4104.22, 4104.29, 4104.31, 4104.39, 4105.11, 4105.12, 4105.19, 4105.20, 4106.11, 4106.12, 4106.19, 4106.20, 4107.10, 4107.21, 4107.29, 4107.90, 4108.00, 4109.00, 4110.00, 4111.00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
"41.04		गोकुलीय (जिसके अंतर्गत भैंस भी हैं) और अश्वकुलीय प्राणियों की चर्मसंस्कारित या अपघर्षित चर्म, जिन पर रोम नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं है		40
		- नम अवस्था (जिसके अंतर्गत नम-विवर्ण है) में :		
		-शुल्क अवस्था (अपघर्षित) में		
	4104.11	--पूर्ण तन्तुवयन, अविपाटित, तन्तुवयन विपाटन	25%	..
	4104.19	-- अन्य	25%	..
	4104.41	-- पूर्ण तन्तुवयन, अविपाटित, तन्तुवयन विपाटन	25%	.. 45
	4104.49	-- अन्य	25%	..
41.05		भेड़ या मेमने का चर्म-संस्कारित या अपघर्षित ऊन जिस पर ऊन नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं ; किंतु और निर्मित नहीं है		
	4105.10	-नम अवस्था (जिसके अंतर्गत नम-विवर्ण है) में	25%	..
	4105.30	-शुष्क अवस्था (अपघर्षित) में	25%	.. 50
41.06		अन्य प्राणियों की चर्म-संस्कारित या अपघर्षित खालें और चर्म, जिन पर ऊर्ण या रोम नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं ; किंतु और निर्मित नहीं है		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- बकरे या शाव के :		
	4106.21	--नम अवस्था (जिसके अंतर्गत नम-विवर्ण है) में	25%	..
	4106.22	-शुष्क अवस्था (अपघर्षित) में	25%	..
5		-शूकर के:		
	4106.31	--नम अवस्था (जिसके अंतर्गत नम-विवर्ण है) में	25%	..
	4106.32	--शुष्क अवस्था (अपघर्षित) में	25%	..
	4106.40	-सरीसृप के	25%	..
		- अन्य :		
10	4106.91	--नम अवस्था (जिसके अंतर्गत नम-विवर्ण है) में	25%	..
	4106.92	--शुष्क अवस्था (अपघर्षित) में	25%	..
	41.07	गोकुलीय (जिसके अंतर्गत भैंस भी है) या अश्वकुलीय प्राणियों का चर्म-संस्कार या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत पर्चमेंट-प्रसाधित चमड़ा भी है, चाहे विघटित है या नहीं, उस चमड़े से भिन्न जो शीर्ष सं. 41.14 में है		
15		-साबुत खालें और चर्म :		
	4107.11	--पूर्ण तन्तुवयन, अविपाटित	25%	..
	4107.12	--तन्तुवयन विपाटन	25%	..
	4107.19	--अन्य	25%	..
20		- अन्य, जिसके अंतर्गत बगली हैं ;		
	4107.91	--पूर्ण तन्तुवयन, अविपाटित	25%	..
	4107.92	--तन्तुवयन विपाटन	25%	..
	4107.99	--अन्य	25%	..
25	41.12	4112.00 भेड़ या मेमने का चर्म-संस्कार या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत भेड़ या मेमने का पर्चमेंट-प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर ऊर्ण नहीं है, चाहे विघटित है या नहीं, उस चमड़े से भिन्न जो शीर्ष सं0 41.14 में है	25%	..
	41.13	अन्य प्राणियों का चर्म-संस्कार या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत पर्चमेंट, प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर ऊर्ण या रोम नहीं है, चाहे विघटित है या नहीं, उस चमड़े से भिन्न जो शीर्ष सं0 41.14 में है		
30	4113.10	-बकरे या शाव का	25%	..
	4113.20	-शूकर का	25%	..
	4113.30	-सरीसृप का	25%	..
	4113.90	-अन्य	25%	..
35	41.14	सांभर चमड़ा; (जिसके अंतर्गत संयोजन सांभर है) पेटेंट चमड़ा और पेटेंट पटलित चमड़ा; घात्विक चमड़ा;		
	4114.10	-सांभर चमड़ा (जिसके अंतर्गत संयोजन चमड़ा है)	25%	..
	4114.20	-पेटेंट चमड़ा और पेटेंट पटलित चमड़ा; घात्विक चमड़ा	25%	..
40	41.15	चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार वाले संगठन चमड़ा, सिल्लियों, चादरों या पट्टी में, चाहे रोल में है या नहीं ; चमड़े या संगठन चमड़े की कतरनें और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है ; चमड़ा धूल, चूर्ण और आटा		
	4115.10	-चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार वाले संगठन चमड़ा, सिल्लियों, चादरों या पट्टी में ; चाहे रोल में है या नहीं	25%	..
45	4115.20	-चमड़े या संगठन चमड़े की कतरनें ओर अन्य अपशिष्ट जो चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है ; चमड़ा धूल, चूर्ण और आटा	25%	..";
		(25) अध्याय 44 में, शीर्ष सं0 44.10, उपशीर्ष सं0 4410.11, 4410.19, 4410.90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-		
50	"44.10	काष्ठ या अन्य काष्ठ सामग्री के कण बोर्ड और इसी प्रकार के बोर्ड (उदाहरणार्थ, अनुस्थापित रेशा बोर्ड और वेफर बोर्ड) चाहे वे रेजिन या अन्य कार्बनिक बंधने पदार्थ से संपीडित हैं या नहीं		
		- अनुस्थापित रेशा बोर्ड और वेफर बोर्ड, काष्ठ का :		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4410.21	--अकर्मित या बालू से चमकाए गए से अन्यथा और कर्मित नहीं	35%	..
	4410.29	-- अन्य	35%	..
	4410.31	--अकर्मित या बालू से चमकाए गए से अन्यथा और कर्मित नहीं	35%	..
	4410.32	--मेलामाइन संसेचित कागज से आधारित पृष्ठ	35%	.. 5
	4410.33	--प्लास्टिक के सजावटी पटलन से अवधारित पृष्ठ	35%	..
	4410.39	-- अन्य	35%	..
	4410.90	- अन्य	35%	..";
(26) अध्याय 47 में, शीर्ष सं0 47.05, उपशीर्ष सं0 4705.00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
"47.05	4705.00	यांत्रिक और रासायनिक लुगदी निकालने की प्रक्रियाओं के संयोजन से अभिप्राप्त काष्ठ लुगदी	5%	..";
(27) अध्याय 48 में,--				
(i) शीर्ष सं0 48.02 में, उपशीर्ष सं0 4802.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में "अन्य कागज और पेपरबोर्ड जिसमें यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त फाइबर नहीं है या जिसके कुल फाइबर अंश का, भार के आधार पर, 10 प्रतिशत से अनधिक ऐसा फाइबर है" शब्दों और अंकों तथा उपशीर्ष सं0 4802.51, 4802.52, 4802.53 और 4802.60 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
		" -अन्य कागज और पेपरबोर्ड जिसमें यांत्रिक या रासायनिक- यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त फाइबर नहीं है या जिसके कुल फाइबर अंश का, भार के आधार पर, 10 प्रतिशत से अनधिक ऐसा फाइबर है :		20
	4802.54	-- 40 जी/एम ² कम वजन वाले	35%	..
	4802.55	-- रोलों में 40 जी/एम ² या अधिक किंतु 150 जी/एम ² से अनधिक भार वाले	35%	..
	4802.56	--चादरों में, जिसका एक पार्श्व 40 g/m ² या अधिक किंतु 150 जी/एम ² से अधिक है और अन्य पार्श्व बिना लपेटे हुए अवस्था में 297 मि.मी. से अनधिक है 40 g/m ² या अधिक किंतु 150 जी/एम ² से अनधिक भार वाले	35%	.. 25
	4802.57	-- अन्य, 40 जी/एम ² या अधिक किंतु 150 जी/एम ² से अनधिक भार वाले	35%	..
	4802.58	-- 150 जी/एम ² से अधिक वजन वाले	35%	..
		- अन्य कागज और पेपरबोर्ड, जिसके कुल फाइबर अंश का 10 प्रतिशत से अधिक ऐसा फाइबर है जो यांत्रिक या रासायनिक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त है :		
	4802.61	-- रोलों में	35%	.. 30
	4802.62	-- चौदरों में, जिसका एक पार्श्व 435 मि.मी. से अधिक है और अन्य पार्श्व बिना लपेटे हुए अवस्था में 297 मि.मी. से अनधिक है	35%	..
	4802.69	-- अन्य	35%	..";
(ii) शीर्ष सं0 48.05 में,, उपशीर्ष सं0 4805.10, 4805.21, 4805.22, 4805.23, 4805.29, 4805.30, 4805.40, 4805.50, 4805.60, 4805.70, 4805.80 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
		" - लंबी धारी वाला कागज :		
	4805.11	--अर्ध-रासायनिक लंबी धारी वाला कागज	35%	..
	4805.12	--तृण लंबी धारी वाला कागज	35%	..
	4805.19	--अन्य	35%	..
		-टेस्टलाइनर (पुनर्चक्रित लाइनर बोर्ड) :		40
	4805.24	--150 जी/एम ² या कम भार वाला	35%	..
	4805.25	--150 जी/एम ² से अधिक भार वाला	35%	..
	4805.30	-सल्फाइट लपेटन कागज	35%	..
	4805.40	-फिल्टर कागज और पेपरबोर्ड	35%	..
	4805.50	फेल्ड कागज और पेपरबोर्ड	35%	.. 45
		-अन्य :		
	4805.91	--150 जी/एम ² या कम भार वाला	35%	..
	4805.92	--150 जी/एम ² से अधिक किंतु 225 जी/एम ² से कम भार वाला	35%	..
	4805.93	--225 जी/एम ² या अधिक भार वाला	35%	..";

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(iii) शीर्ष सं0 48.07, उपशीर्ष सं0 4807.10, 4807.90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-		
5	"48.07	4807.00 संयुक्त कागज और पेपरबोर्ड (जो कागज या पेपरबोर्ड की चपटी परतों की आपस में किसी आसंजक से चिपका कर तैयार किया गया है) जो पृष्ठ विलेपित या संसेधित नहीं है, चाहे आंतरिक रूप से प्रबलित है या नहीं ; रोलों या शीटों में	35%	..";
		(iv) शीर्ष सं0 48.10 में,-		
		(क) उपशीर्ष सं0 4810.11, 4810.12 और 4810.21 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-		
10	"48.10	कागज और पेपरबोर्ड, जिसका एक या दोनों पार्श्व काओलिन (चीनी मिट्टी) या किसी अन्य अकार्बनिक पदार्थ से किसी बंधक सहित या बंधक बिना, और किसी अन्य विलेपन रहित विलेपित है, चाहे पृष्ठ रंजित, पृष्ठ सज्जित या मुद्रित है या नहीं, रोलों या आयताकार (जिसके अंतर्गत चौकोर भी हैं) शीटों में ; किसी भी आकार का		
15		-इस प्रकार का कागज और पेपरबोर्ड जिसका उपयोग लेखन, मुद्रण या अन्य आलेखी प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिसमें यांत्रिक या रासायनिक-यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त फाइबर नहीं है या जिसके कुल फाइबर अंश का भार के आधार पर, 10 प्रतिशत से अनधिक ऐसे फाइबर से मिल कर बना है :		
		4810.13 -रोलों में	35%	..
20		4810.14 रोलों में, जिसका एक पार्श्व 435 मि.मी. से अनधिक है और अन्य पार्श्व बिना लपेटे हुए अवस्था में 297 मि.मी. से अनधिक है	35%	..
		4810.19 -अन्य	35%	..
25		-इस प्रकार का कागज और पेपरबोर्ड जिसका उपयोग लेखन, मुद्रण या अन्य आलेखी प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिसके कुल फाइबर अंश को, भार के आधार पर, 10 प्रतिशत से अधिक यांत्रिक या रासायनिक-यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अभिप्राप्त फाइबर से मिल कर बना है		
		4810.22 -हल्के भार वाला विलेपित कागज	35%	..";
		(ख) उपशीर्ष सं0 4810.91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-		
		"4810.92 -बहु-प्लाई	35%	..";
30		(v) शीर्ष सं0 48.11 में,-		
		(क) उपशीर्ष सं0 4811.21 और 4811.29 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-		
		"4811.41 --स्वतः आसंजक	35%	..
		4811.49 --अन्य	35%	..";
35		(ख) उपशीर्ष सं0 4811.31, 4811.39 और 4811.40 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-		
		"4811.51 --विरंजित, जिसका भार 150 g/m ² से अधिक है	35%	..
		4811.59 -- अन्य	35%	..
		4811.60 -- कागज और पेपरबोर्ड, जो मोम, पैराफिन मोम, स्टिपरिन, तेल या ग्लिसराल से विलेपित, संसेधित या आच्छादित है	35%	..";
40		(vi) शीर्ष सं0 48.23 में, उपशीर्ष सं0 4823.11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-		
		"4823.12 --स्वतः आसंजक	35%	..";
		(28) अध्याय 51 में,-		
		(i) शीर्ष सं0 51.02 में, उपशीर्ष सं0 5102.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-		
		"-सूक्ष्म प्राणी रोम :		
45		5102.11 --कश्मीर (कैशमेरे) बकरों का	15%	..
		5102.19 --अन्य	15%	..";
		(ii) शीर्ष सं0 51.05 में, उपशीर्ष सं0 5105.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-		
		"-सूक्ष्म प्राणी रोम :		
		5105.31 --कश्मीर (कैशमेरे) बकरों का	20%	..
50		5105.39 --अन्य	20%	..";

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(29)	अध्याय 53 में, शीर्ष सं0 53.05 में, उपशीर्ष सं0 5305.29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में, "अन्य" शब्द के पश्चात् और उपशीर्ष सं0 5305.91 और 5305.99 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
	"5305.90	-अन्य	35%	..";
(30)	अध्याय 59 में, शीर्ष सं0 59.04 में, उपशीर्ष सं0 5904.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में, "अन्य" शब्द के पश्चात् और उपशीर्ष सं0 5904.91 और 5904.92 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			5
	"5904.90	-अन्य	35%	..";
(31)	अध्याय 60 में, शीर्ष सं0 60.02, उपशीर्ष सं0 6002.10, 6002.20, 6002.30, 6002.41, 6002.42, 6002.43, 6002.49, 6002.91, 6002.92, 6002.93, 6002.99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
60.02		बुने या क्रोशियाकृत फ़ैब्रिक, 30 से. मी. से अनधिक चौड़ाई के, जिनमें भार के आधार पर, 5 प्रतिशत या अधिक प्रत्यास्थलकी सूत या रबड़ धागा, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 60.01 में है		10
	6002.40	-जिसमें भार के आधार पर 5 प्रतिशत या अधिक प्रत्यास्थलकी कृत है किंतु इसमें रबड़ धागा नहीं है	35%	..
	6002.90	-अन्य	35%	.. 15
60.03		बुने या क्रोशियाकृत फ़ैब्रिक, 30 से. मी. से अनधिक चौड़ाई के, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 60.01 या 60.02 में है		
	6003.10	-ऊर्ण या सूक्ष्म प्राणि रोम	35%	..
	6003.20	-सूत के	35%	..
	6003.30	-संश्लिष्ट फाइबर के	35%	.. 20
	6003.40	-कृत्रिम फाइबर के	35%	..
	6003.90	-अन्य	35%	..
60.04		बुने या क्रोशियाकृत फ़ैब्रिक, 30 से. मी. से अनधिक चौड़ाई के, जिनमें भार के आधार पर, 5 प्रतिशत या अधिक प्रत्यास्थलकी सूत या रबड़ धागा, उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 60.01 में है		25
	6004.10	-जिसमें भार के आधार पर 5 प्रतिशत या अधिक प्रत्यास्थलकी कृत है किंतु इसमें रबड़ धागा नहीं है	35%	..
	6004.90	-अन्य	35%	..
60.05		ताना बुनाई फ़ैब्रिक (जिनके अंतर्गत गैलून बुनाई मशीनों पर बने फ़ैब्रिक भी हैं) उनसे भिन्न जो शीर्ष सं0 60.01 से 60.04 में हैं		30
	6005.10	-ऊर्ण या सूक्ष्म प्राणि रोम	35%	..
		-सूत के:		
	6005.21	--अविरंजित या विरंजित	30%	..
	6005.22	--रंजित	30%	..
	6005.23	--विभिन्न रंगों के सूतों के	30%	.. 35
	6005.24	--छापित	30%	..
		-संश्लिष्ट फाइबर के :		
	6005.31	--अविरंजित या विरंजित	30%	..
	6005.32	--रंजित	30%	..
	6005.33	--विभिन्न रंगों के सूतों के	30%	.. 40
	6005.34	--छापित	30%	..
		-संश्लिष्ट फाइबर के :		
	6005.41	--अविरंजित या विरंजित	30%	..
	6005.42	--रंजित	30%	..
	6005.43	--विभिन्न रंगों के सूतों के	30%	.. 45
	6005.44	--छापित	30%	..
	6005.90	-अन्य	35%	..
60.06		अन्य बुने या क्रोशियाकृत फ़ैब्रिक		
	6006.10	-ऊर्ण या सूक्ष्म प्राणि रोम के	35%	..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- सूत के :		
	6006.21	--अविरंजित या विरंजित	35%	..
	6006.22	--रंजित	35%	..
5	6006.23	--विभिन्न रंगों के सूतों के	35%	..
	6006.24	--छापित	35%	..
		-संश्लिष्ट फाइबर के :		
	6006.31	--अविरंजित या विरंजित	35%	..
	6006.32	--रंजित	35%	..
10	6006.33	--विभिन्न रंगों के सूतों के	35%	..
	6006.34	--छापित	35%	..
		-कृत्रिम फाइबरों के :		
	6006.41	--अविरंजित या विरंजित	35%	..
	6006.42	--रंजित	35%	..
15	6006.43	--विभिन्न रंगों के सूतों के	35%	..
	6006.44	--छापित	35%	..
	6006.90	-अन्य	35%	.. ;
	(32) अध्याय 61 में, शीर्ष सं0 61.10 में, उपशीर्ष सं0 6110.10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
20		"-ऊर्ण या सूक्ष्म प्राणि रोम के :		
	6110.11	--ऊर्ण के	35% या 275 रु. प्रति नग, इनमें से जो अधिक हो	..
	6110.12	--कश्मीर (कैशमेरे) बकरों के	35% या 275 रु. प्रति नग, इनमें से जो अधिक हो	..
	6110.19	--अन्य	35% या 275 रु. प्रति नग, इनमें से जो अधिक हो	.. ;
	(33) अध्याय 70 में, शीर्ष सं0 70.10 में, उपशीर्ष सं0 7010.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में, "अन्य, किसी क्षमता के" शब्द के पश्चात् और उपशीर्ष सं0 7010.91, 7010.92, 7010.93 और 7010.94 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
25	"7010.90	-अन्य	35%	.. ;
	(34) अध्याय 71 में, शीर्ष सं0 71.12 में, उपशीर्ष सं0 7112.10, 7112.20 और 7112.90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
30	"7112.30	-भस्म, जिसमें बहुमूल्य धातु या बहुमूल्य धातु यौगिक है	35%	..
		-अन्य :		
	7112.91	--स्वर्ण का, जिसके अंतर्गत स्वर्ण से अधिपट्टित धातु है किंतु इसके अंतर्गत अन्य बहुमूल्य धातुओं से युक्त झाड़न नहीं है	35%	..
35	7112.92	--प्लेटिनम का, जिसके अंतर्गत प्लेटिनम से अधिपट्टित धातु है किंतु इसके अंतर्गत अन्य बहुमूल्य धातुओं से युक्त झाड़न नहीं है	35%	..
	7112.99	--अन्य	35%	.. ;
	(35) अध्याय 74 में, शीर्ष सं0 74.15 में, उपशीर्ष सं0 7415.31, 7415.32 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
40	"7415.33	--पेंच, बोल्ट और नट	35%	.. ;
	(36) अध्याय 81 में,-			
	(i) शीर्ष सं0 81.01 में, उपशीर्ष सं0 8101.91, 8101.92, 8101.93 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
45	"8101.94	--अनगढ़ टंगस्टन, जिसके अंतर्गत साधारणतया सिंटरन द्वारा अभिप्राप्त शलाकाएं और छड़ें हैं	35%	..
	8101.95	--शलाकाएं और छड़ें, उनसे भिन्न जो साधारणतया सिंटरन द्वारा अभिप्राप्त हैं, प्रोफाइल प्लेट, शीट, पट्टी और पर्ण	35%	..
	8101.96	--तार	35%	..
	8101.97	--अपशिष्ट और स्क्रेप	35%	.. ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ii)	शीर्ष सं0 81.02 में, उपशीर्ष सं0 8102.91, 8102.92, 8102.93 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
	"8102.94	--अनगढ़ मालिब्डेनम, जिसके अंतर्गत साधारणतया सिंटरन द्वारा अभिप्राप्त शलाकाएं और छड़े हैं	35%	.. 5
	8102.95	--शलाकाएं और छड़े, उनसे भिन्न जो साधारणतया सिंटरन द्वारा अभिप्राप्त हैं, प्रोफाइल प्लेट, शीट, पट्टी और पर्ण	35%	..
	8102.96	--तार	35%	..
	8102.97	--अपशिष्ट और स्क्रेप	35%	.. ;
(iii)	शीर्ष सं0 81.03 में, उपशीर्ष सं0 8103.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			10
	"8103.20	-अनगढ़ टेंटालम, जिसके अंतर्गत साधारणतया सिंटरन द्वारा अभिप्राप्त शालाकाएं और छड़े हैं ; चूर्ण	35%	..
	8103.30	-अपशिष्ट और स्क्रेप	35%	.. ;
(iv)	शीर्ष सं0 81.05 में, उपशीर्ष सं0 8105.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			15
	"8105.20	-कोबाल्ट मैट और कोबाल्ट धात्विकी के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद ; अनगढ़ कोबाल्ट ; चूर्ण	35%	..
	8105.30	-अपशिष्ट और स्क्रेप	35%	.. ;
(v)	शीर्ष सं0 81.07 में, उपशीर्ष सं0 8107.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			20
	"8107.20	-अनगढ़ कैडमियम ; चूर्ण	35%	..
	8107.30	-अपशिष्ट और स्क्रेप	35%	.. ;
(vi)	शीर्ष सं0 81.08 में, उपशीर्ष सं0 8108.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			25
	"8108.20	-अनगढ़ टाइटेनियम ; चूर्ण	35%	..
	8108.30	-अपशिष्ट और स्क्रेप	35%	.. ;
(vii)	शीर्ष सं0 81.09 में, उपशीर्ष सं0 8109.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			25
	"8109.20	-अनगढ़ जिर्कोनियम ; चूर्ण	35%	..
	8109.30	-अपशिष्ट और स्क्रेप	35%	.. ;
(viii)	शीर्ष सं0 81.10, उपशीर्ष सं0 8110.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
"81.10		रेंटिमानी और उसकी वस्तुएं, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप भी है ;		30
	8110.10	-अनगढ़ रेंटिमानी ; चूर्ण	35%	..
	8110.20	-अपशिष्ट और स्क्रेप	35%	..
	8110.90	-अन्य	35%	.. ;
(ix)	शीर्ष सं0 81.12 में,-			
(क)	उपशीर्ष सं0 8112.11, 8112.19, 8112.20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			35
	8112.12	-अनगढ़ ; चूर्ण	35%	..
	8112.13	-अपशिष्ट और स्क्रेप	35%	..
	8112.19	-अन्य	35%	..
		-क्रोमियम :		
	8112.21	-अनगढ़ ; चूर्ण	35%	.. 40
	8112.22	-अपशिष्ट और स्क्रेप	35%	..
	8112.29	-अन्य	35%	.. ;
(ख)	उपशीर्ष सं0 8112.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (3) में, "-अन्य : " शब्द के स्थान पर और उपशीर्ष सं0 8112.91, 8112.99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
		"-थैलियम :		45
	8112.51	--अनगढ़ ; चूर्ण	35%	..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	8112.52	—अपशिष्ट और स्क्रेप	35%	..
	8112.59	—अन्य	35%	..
		—अन्य :		
5	8112.92	—अनगढ़, अपशिष्ट और स्क्रेप; चूर्ण	35%	.. ;
	8112.99	—अन्य	35%	.. ;
	(37) अध्याय 84 में, शीर्ष सं0 84.67 में, उपशीर्ष सं0 8467.19 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-			
		"-स्वतः पूर्ण विद्युत मोटर :		
10	8467.21	—सभी प्रकार के ड्रिल	25%	..
	8467.22	—आड़ी	25%	..
	8467.29	—अन्य	25%	.. ;
	(38) अध्याय 85 में, शीर्ष सं0 85.42 में शीर्ष सं0 85.42 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग के स्तंभ (3) में "एकाश्म अंकीय एकीकृत परिपथ : " शब्दों के स्थान पर और उपशीर्ष सं0 8542.12, 8542.13, 8542.14, 8542.19, 8542.30, 8542.40 और 8542.50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
15	"8542.10	—कार्ड, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत परिपथ ("स्मार्ट कार्ड") समाविष्ट हैं	निःशुल्क	..
		—एकाश्म एकीकृत परिपथ :		
	8542.21	—अंकीय	निःशुल्क	..
	8542.29	—अन्य	निःशुल्क	..
20	8542.60	—संकर एकीकृत परिपथ	निःशुल्क	..
	8542.70	—इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म समुच्चय	निःशुल्क	.. ;
	(39) अध्याय 88 में, शीर्ष सं0 88.05 में, उपशीर्ष सं0 8805.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
		"-भूतल उद्धान प्रशिक्षक और उनके पुर्जे :		
25	8805.21	—एयर कम्बैट अनुरूपक और उनके पुर्जे	35%	..
	8805.29	—अन्य	35%	.. ;
	(40) अध्याय 89 में, शीर्ष सं0 89.06 में, उपशीर्ष सं0 8906.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
	"89.06	अन्य जलयान, जिनके अंतर्गत युद्धपोत और रक्षानौकाएं हैं जो नौदौड़ नौकाओं से भिन्न हैं		
30	8906.10	—युद्धपोत	25%	..
	8906.90	—अन्य	25%	.. ;
	(41) अध्याय 90 में,—			
	(i) शीर्ष सं0 90.09 में, उपशीर्ष सं0 9009.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
		"-पुर्जे और उपसाधन :		
35	9009.91	—स्वचालित दस्तावेज संभरक	25%	..
	9009.92	—कागज संभरक	25%	..
	9009.93	—सार्टर	25%	..
	9009.99	—अन्य	25%	.. ;
	(ii) शीर्ष सं0 90.21 में,—			
40	(क) शीर्ष सं0 90.21 के ठीक पश्चात् आने वाले भाग के स्तंभ (3) में, "कृत्रिम जोड़ों और अन्य विकलांग या अस्थि विभाग साधित्र" शब्दों के पश्चात् और उपशीर्ष सं0 9021.11, 9021.19 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
	"9021.10	—विकलांग या अस्थि विभाग साधित्र	25%	.. ;
	(ख) उपशीर्ष सं0 9021.30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-			
		"-शरीर के अन्य कृत्रिम अंग :		
45	9021.31	—कृत्रिम जोड़	25%	..
	9021.39	—अन्य	25%	.. ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(42) अध्याय 91 में,-				
(i) शीर्ष सं0 91.08 में, उपशीर्ष सं0 9108.20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् आने वाले " -अन्य : " शब्द के पश्चात्, स्तंभ (3) में, और उपशीर्ष सं0 9108.91 और 9108.99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
	"9108.90	-अन्य	25%	.."; 5
(ii) शीर्ष सं0 91.12 में, उपशीर्ष सं0 9112.10 और 9112.80 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात्:-				
	"9112.20	-केस	35%	..";
(43) अध्याय 93 में,-				
(i) शीर्ष सं0 93.01 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
"93.01		सैन्य शस्त्र, रिवाल्वरों, पिस्तौलों और शीर्ष सं0 93.07 के आयुधों से भिन्न		
		- तोपखाना शस्त्र (उदाहरणार्थ बंदूक, हाउजर और मोर्टार) :		
	9301.11	--स्वतः नोदित	35%	..
	9301.19	--अन्य	35%	..
	9301.20	-राकेट लांचर ; फ्लेम-थ्रोअर ; ग्रेनेड लांचर, टारपेडो ट्यूब और वैसे ही प्रक्षेपक	35%	.. 15
	9301.90	-अन्य	35%	..";
(ii) शीर्ष सं0 93.05 में, उपशीर्ष सं0 9305.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
		" -अन्य :		
	9305.91	--शीर्ष सं0 93.01 के सैन्य शस्त्रों के	35%	.. 20
	9305.99	--अन्य	35%	..";
(44) अध्याय 95 में, शीर्ष सं0 95.08 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-				
"95.08		चक्कर, झूले, निशानेबाजी, दीर्घाएं और अन्य मेला स्थल विनोद ; चल सर्कस, और चल प्राणिशालाएं ; चल नाट्यशालाएं		
	9508.10	-चल सर्कस और चल प्राणिशालाएं	35%	.. 25
	9508.90	-अन्य	35%	..";